

MAA OMWATI DEGREE COLEGE, HASSANPUR
(PALWAL)

EXAMINATION NOTES

M. A. POL SCI (4thsem)

INTERNATIONAL LAW (अंतर्राष्ट्रीय कानून)

Chapter - 1

राज्यों की मान्यता

****राज्यों की मान्यता का अर्थ (Meaning of Recognition of States)****

राज्यों की मान्यता का अर्थ है कि एक राज्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक वैध और स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया जाए। इसका मतलब यह है कि अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा उस राज्य को कानूनी और राजनीतिक रूप से पहचाना जाता है, और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। मान्यता एक प्रकार की स्वीकृति होती है, जिसके द्वारा किसी राज्य को अन्य देशों के साथ कूटनीतिक, व्यापारिक और अन्य प्रकार के संबंध स्थापित करने का अधिकार मिलता है।

****राज्यों की मान्यता का महत्व (Importance of Recognition of States)****

1. ****वैधता और कानूनी स्थिति****: मान्यता से एक राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधता मिलती है। यह उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों और संधियों के तहत अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता है। बिना मान्यता प्राप्त किए, एक राज्य को अन्य देशों से सहयोग, सहायता, या वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है।
2. ****द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना****: मान्यता प्राप्त राज्य अन्य देशों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि किसी राज्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वह वैश्विक मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र में भाग नहीं ले सकता और उसके खिलाफ कई देशों द्वारा व्यापारिक या अन्य प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।
3. ****संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता****: मान्यता के बाद एक राज्य संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता प्राप्त कर सकता है, जो उसे वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभाव और प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसके माध्यम से वह विभिन्न मुद्दों पर वैश्विक मंच पर अपनी बात रख सकता है और सहयोग प्राप्त कर सकता है।
4. ****सुरक्षा और संरक्षण****: एक मान्यता प्राप्त राज्य को अन्य देशों से सुरक्षा और समर्थन प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बनने का भी अवसर मिलता है, जैसे शांति मिशनों में भाग लेना या सैन्य सहयोग करना।

****राज्यों की मान्यता के आवश्यक तत्व (Essential Elements of Recognition of States)****

राज्यों की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक तत्व और शर्तें होती हैं, जिनके आधार पर इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में स्वीकार किया जाता है। ये तत्व इस प्रकार हैं:

1. ****स्थिर और स्थायी आबादी (Stable and Permanent Population)****:

एक राज्य को मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे एक स्थिर और स्थायी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि उस राज्य की जनता स्थायी रूप से वहां निवास करती है और राज्य की सत्ता का संचालन करने के लिए वह जनसंख्या पर्याप्त होनी चाहिए।

2. ****निर्वाचित सरकार (A Defined Government)****: एक मान्यता प्राप्त राज्य को एक स्थिर और प्रभावी सरकार की आवश्यकता होती है, जो कानून और व्यवस्था को बनाए रख सके, और जो राज्य के अंदर और बाहर के मामलों को संभालने में सक्षम हो। यह सरकार राज्य के भीतर राजनैतिक निर्णय लेने और अंतरराष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है।

3. ****निर्धारित भू-भाग (Defined Territory)****: राज्य की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस राज्य का एक स्पष्ट और स्थिर भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। यह क्षेत्र किसी विवाद से मुक्त और सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिले।

4. ****अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता (Capacity to Enter into Relations with Other States)****: एक राज्य को मान्यता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वह अन्य देशों के साथ कूटनीतिक, व्यापारिक और अन्य प्रकार के रिश्ते बनाने की क्षमता रखता हो। इसका मतलब है कि वह अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है और अन्य देशों से सहयोग कर सकता है।

****राज्यों की मान्यता के प्रकार (Types of Recognition of States)****

1. ****प्राथमिक मान्यता (De Facto Recognition)****: यह एक अस्थायी या वास्तविक मान्यता होती है, जिसमें एक राज्य को सीमित स्तर पर मान्यता दी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि किसी राज्य की सरकार या सत्ता स्थापित हो चुकी है, लेकिन उसे आधिकारिक रूप से पूरी मान्यता नहीं मिली है।

2. ****पूर्ण मान्यता (De Jure Recognition)****: यह एक स्थायी और पूर्ण मान्यता होती है, जिसमें एक राज्य को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसमें उस राज्य को सभी कूटनीतिक, व्यापारिक और अन्य अधिकार मिलते हैं, जो उसे एक पूरी तरह से मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

****निष्कर्ष (Conclusion)**** राज्यों की मान्यता अंतरराष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करने का काम करती है। इसके माध्यम से राज्य अपनी वैश्विक पहचान प्राप्त करता है, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। एक राज्य को मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें, जैसे स्थिर जनसंख्या, प्रभावी सरकार, निश्चित भू-भाग, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की क्षमता होनी चाहिए।

****राज्यों की मान्यता के तरीके (Ways of Recognition of States)****

राज्यों की मान्यता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किसी नए राज्य को स्वीकार करने के लिए अपनाई जाती है। इसे दो प्रमुख तरीकों से किया जा सकता है:

1. ****पूर्ण मान्यता (De Jure Recognition)**** यह एक औपचारिक और स्थायी मान्यता है, जिसमें एक राज्य को पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार की मान्यता प्राप्त राज्य को पूरी तरह से अधिकार मिलते हैं और वह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी कर्तव्यों और अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। यह मान्यता सरकार की स्थिरता, राज्य की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में उसकी सक्रियता को दर्शाती है।

****विशेषताएँ****: यह पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।

- राज्य को संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य बनने का अधिकार मिलता है।

- दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक, व्यापारिक और अन्य संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त होती है।

2. ****अस्थायी मान्यता (De Facto Recognition)**** यह अस्थायी या वास्तविक मान्यता होती है, जो किसी राज्य को उसके प्रशासन या सत्ता के अस्तित्व के आधार पर दी जाती है, लेकिन यह मान्यता स्थायी और पूरी नहीं होती। यह मान्यता अस्थायी होती है और केवल वास्तविक स्थितियों के आधार पर दी जाती है, बिना किसी औपचारिक संधि या पूर्ण स्वीकारोक्ति के। इस प्रकार की मान्यता प्राप्त राज्य को कुछ सीमित अधिकार मिलते हैं, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं होता।

- ****विशेषताएँ****: - यह अस्थायी होती है और केवल उस राज्य की सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करती है।

- यह मान्यता स्थिर नहीं होती, और समय के साथ इसे पूर्ण (De Jure) मान्यता में बदला जा सकता है। - इसे अन्य देशों द्वारा सीमित कूटनीतिक या आर्थिक संबंधों के लिए स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह व्यापक अधिकार नहीं देती।

3. ****एकतरफा मान्यता (Unilateral Recognition)**** इस प्रकार की मान्यता केवल एक राज्य द्वारा दी जाती है, न कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा। यह तब होती है जब एक राज्य किसी अन्य राज्य या सरकार को अपनी स्वीकृति देता है, लेकिन यह मान्यता अन्य देशों द्वारा स्वीकृत नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश किसी संघर्षरत क्षेत्र को अपना मान्यता प्राप्त राज्य घोषित करता है, तो यह एकतरफा मान्यता मानी जाती है, और यह अन्य देशों से मान्यता प्राप्त नहीं होती। ****विशेषताएँ****:- यह मान्यता केवल एक पक्ष से दी जाती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं होती। इस प्रकार की मान्यता से दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने में मुश्किल हो सकती है।

4. ****संज्ञायुक्त (Implicit Recognition)**** यह वह मान्यता होती है, जो किसी राज्य के प्रति उसके कार्यों या व्यवहारों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, न कि औपचारिक रूप से। उदाहरण के लिए, अगर कोई राज्य किसी नए राज्य के साथ व्यापारिक समझौते करता है या उसे कूटनीतिक तौर पर स्वीकार करता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य की मान्यता होती है।

****विशेषताएँ****:- यह मान्यता किसी औपचारिक घोषणा या समझौते के बिना होती है।

यह मान्यता तब होती है जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यवहार करता है या उसे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में शामिल करत

Chapter - 2

राज्य उत्तराधिकार

****राज्य उत्तराधिकारी के प्रकार और परिणाम (Types of State Succession and its Effects)****

राज्य उत्तराधिकारी (State Succession) का अर्थ है जब एक राज्य का स्थान दूसरा राज्य लेता है, या एक राज्य के अधिकार, कर्तव्यों और दायित्वों को दूसरा राज्य स्वीकार करता है। यह सामान्यतः तब होता है जब एक नया राज्य स्थापित होता है, या जब एक राज्य का विभाजन, विलय, या उपनिवेशीकरण होता है। राज्य उत्तराधिकार का परिणाम विभिन्न कानूनी, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

राज्य उत्तराधिकारी के दो प्रमुख प्रकार होते हैं: ****संप्रभुता उत्तराधिकार (Sovereign Succession)**** और ****कानूनी उत्तराधिकार (Legal Succession)****।

1. ****संप्रभुता उत्तराधिकार (Sovereign Succession)**** यह वह स्थिति होती है जब एक राज्य की संप्रभुता का स्थान किसी नए राज्य या सत्ता द्वारा लिया जाता है। यह परिवर्तन विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे:

****राज्य का विभाजन****: जब एक राज्य का विभाजन होता है, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन या यूगोस्लाविया का विभाजन।

- ****स्वतंत्रता प्राप्ति****: जब एक उपनिवेश स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जैसे भारत का ब्रिटेन से स्वतंत्र होना।

- ****विलय****: जब दो राज्य मिलकर एक नया राज्य बनाते हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण।

****परिणाम**:** ****नए अधिकारों और कर्तव्यों का उत्पन्न होना**:** नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकार मिलते हैं, जैसे संधियाँ, कूटनीतिक संबंध, और विदेशी सहायता।

- ****पूर्व राज्य के दायित्वों का समाधान**:** नए राज्य को पुराने राज्य के दायित्वों का समाधान करना होता है, जैसे ऋण, संधियाँ या विवादों का समाधान।

- ****संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता**:** नए राज्य को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करनी होती है।

2. ****कानूनी उत्तराधिकार (Legal Succession)**** यह वह स्थिति होती है जब एक राज्य के कानूनी दायित्व और अधिकार किसी अन्य राज्य को सौंप दिए जाते हैं, भले ही संप्रभुता का परिवर्तन न हुआ हो। यह तब होता है जब किसी राज्य के प्रशासन में बदलाव होता है, जैसे:- ****सत्ता का परिवर्तन**:** जब एक राज्य के आंतरिक प्रशासन या सरकार का रूप बदलता है, जैसे लोकतंत्र से तानाशाही में बदलाव या सैन्य शासन की स्थापना।

- ****अंतरराष्ट्रीय संधियों का उत्तराधिकार**:** एक नया या परिवर्तित राज्य पुराने राज्य के द्वारा की गई संधियों और समझौतों को मान्यता प्राप्त कर सकता है।

****परिणाम**:**

- ****कानूनी दायित्वों का हस्तांतरण**:** नया राज्य पुराने राज्य के कानूनी दायित्वों को अपनाता है, जैसे व्यापारिक संधियाँ, युद्ध और शांति समझौते।

- ****पूर्व संधियों और कानूनी अधिकारों की निरंतरता**:** यदि कोई राज्य अपनी सत्ता में परिवर्तन करता है, तो वह अपनी पूर्व संधियों और कानूनी अधिकारों की निरंतरता बनाए रख सकता है।

- ****राजनयिक संबंधों में बदलाव**:** नए या बदलते राज्य को नए कूटनीतिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, जैसे राजदूत नियुक्त करना और विभिन्न देशों के साथ संवाद बनाए रखना।

3. ****नैतिक उत्तराधिकार (Moral Succession)****

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक राज्य का नया प्रशासन पुरानी सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेता है, चाहे वह कानूनी रूप से उत्तराधिकारी न हो। यह खासकर उस समय होता है जब किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है और नया प्रशासन पुरानी सरकार की नीतियों या फैसलों को अपने रूप में बदलता है।

****परिणाम**:**

- ****कूटनीतिक संबंधों में बदलाव**:** पुराने प्रशासन की नीतियों के प्रति जनता और अन्य देशों का दृष्टिकोण बदल सकता है।

- ****अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों में परिवर्तन**:** इस प्रकार के उत्तराधिकार में कई बार दायित्वों में बदलाव आ सकते हैं, जैसे किसी पुराने विवाद का समाधान या किसी कानूनी मामले का नया निपटान।

4. ****संविधानिक उत्तराधिकार (Constitutional Succession)**** यह तब होता है जब एक राज्य अपना संविधान बदलता है या नया संविधान लागू करता है, लेकिन वह पुरानी सरकार के दायित्वों और अधिकारों को बरकरार रखता है। इस प्रकार का उत्तराधिकार आमतौर पर एक देश के भीतर आंतरिक सुधारों के तहत होता है और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बदलाव नहीं आता।

****परिणाम**:-** ****संविधान के तहत दायित्वों की निरंतरता**:** नए संविधान के तहत पुराने राज्य के दायित्वों को जारी रखा जाता है।

- ****नई सरकार या संरचना का निर्माण**:** राज्य की आंतरिक संरचना में बदलाव के बावजूद उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति समान रहती है।

****राज्य उत्तराधिकार के प्रभाव (Effects of State Succession)****

1. ****अंतरराष्ट्रीय कानून पर प्रभाव****: जब एक राज्य का उत्तराधिकारी राज्य किसी पुराने राज्य के दायित्वों को स्वीकार करता है, तो वह पुराने राज्य की संधियों, कानूनी समझौतों और प्रतिबद्धताओं के पालन का उत्तरदायी हो सकता है।

2. ****कूटनीतिक संबंधों में बदलाव****: नए या उत्तराधिकारी राज्य को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे कूटनीतिक स्थिति बदल सकती है और कभी-कभी नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त करने में समय लग सकता है।

3. ****वित्तीय दायित्वों का हस्तांतरण****: राज्य उत्तराधिकार के दौरान, नए राज्य को पुराने राज्य के वित्तीय दायित्वों का समाधान करना पड़ सकता है, जैसे ऋण और आर्थिक समझौते।

4. ****प्रारंभिक विवाद और पहचान संबंधी समस्याएँ****: कभी-कभी राज्य उत्तराधिकार के दौरान पहचान और क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर जब पुराने और नए राज्यों के बीच कोई भू-राजनीतिक विवाद हो।

निष्कर्ष:

राज्य उत्तराधिकार एक जटिल और बहुपरक प्रक्रिया है, जो विभिन्न कानूनी, कूटनीतिक, और राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न करती है। राज्य उत्तराधिकार के प्रकार (संप्रभुता, कानूनी, नैतिक, संविधानिक) और इसके परिणामों को समझना अंतरराष्ट्रीय कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण होता है। यह प्रक्रिया देशों के बीच नए संबंधों की स्थापना, दायित्वों का हस्तांतरण और अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थिति के बदलाव को प्रभावित करती है।

Chapter - 3

हस्तक्षेप

****हस्तक्षेप क्या है? (What is Intervention?)****

हस्तक्षेप का अर्थ है किसी बाहरी राज्य या शक्ति का एक अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में अनधिकृत या अप्रतिबंधित रूप से हस्तक्षेप करना। यह किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य बल का प्रयोग, या अन्य उपायों के जरिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप का अर्थ किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में घुसपैठ करने या किसी मुद्दे में बाहरी प्रभाव डालने से होता है, जो उस राज्य के आंतरिक निर्णयों या संचालन को प्रभावित करता है।

हस्तक्षेप का उद्देश्य विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य राज्य की आंतरिक स्थिति में सुधार करना, किसी संघर्ष को समाप्त करना, मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकना, या राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन रोकना।

****हस्तक्षेप को किन परिस्थितियों में उचित माना जा सकता है? (In What Situations Intervention Can Be Justified?)****

हस्तक्षेप एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि यह किसी राज्य की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में बाहरी दखलअंदाजी को प्रभावित करता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, जिनमें हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सकता है:

1. ****मानवाधिकारों का उल्लंघन (Violation of Human Rights)****

जब किसी राज्य में गंभीर और व्यापक मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, जैसे नरसंहार, जातीय सफाया, युद्ध अपराध, और अत्याचार, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप को उचित मान सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद द्वारा सैन्य हस्तक्षेप को तब उचित माना जा सकता है जब किसी राज्य में लोगों पर अत्याचार हो रहे हों, जैसा कि 1990 में कुवैत पर इराक के आक्रमण के समय हुआ था। ***उदाहरण***: 1999 में

कोसोवो संकट के दौरान, नाटो (NATO) ने बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के सैन्य हस्तक्षेप किया, क्योंकि कोसोवो में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा था।

2. ****सैन्य संघर्ष में शांति स्थापना (Peacekeeping in Armed Conflict)**** जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच युद्ध या सैन्य संघर्ष हो और कोई तीसरा पक्ष शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करता है, तो इसे उचित माना जा सकता है। यदि संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास किए जाएं और युद्ध का खतरा बहुत बढ़ जाए, तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र, के तहत शांति मिशन भेजे जा सकते हैं।

उदाहरण******: संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, जैसे कि कंबोडिया और रवांडा में, जहां शांति स्थापित करने और हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया गया।

3. ****संयुक्त राष्ट्र का निर्णय (UN Mandate)**** संयुक्त राष्ट्र (UN) के चार्टर के तहत, हस्तक्षेप को केवल तब उचित माना जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसकी अनुमति दे। जब किसी राज्य की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यह सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक प्रतिबंध, या अन्य दंडात्मक उपायों के रूप में हो सकता है।

उदाहरण******: 1990 में कुवैत पर इराक के आक्रमण के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप का आदेश दिया।

4. ****आंतरिक अस्थिरता (Internal Instability)****

कभी-कभी जब किसी राज्य में आंतरिक संघर्ष या अस्थिरता उत्पन्न होती है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, तब बाहरी हस्तक्षेप उचित माना जा सकता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब गृहयुद्ध या हिंसक संघर्ष पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

*उदाहरण******: सीरिया में गृहयुद्ध के दौरान, कई देशों ने विभिन्न कारणों से हस्तक्षेप किया, जैसे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध या मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकना।

5. ****आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा (Terrorism and International Security)**** जब एक राज्य आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या आतंकवादियों को आश्रय देता है, तो अन्य राज्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उस समय होता है जब आतंकवादी गतिविधियाँ वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती हैं। उदाहरण******: 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण, जब तालिबान शासन ने अल-कायदा को आश्रय दिया था।

****हस्तक्षेप के खिलाफ तर्क (Arguments Against Intervention)****

हस्तक्षेप के खिलाफ भी कई तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे:

1. ****संप्रभुता का उल्लंघन (Violation of Sovereignty)****: हस्तक्षेप एक राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है।

2. ****आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप****: प्रत्येक राज्य का अधिकार है कि वह अपने आंतरिक मामलों का समाधान स्वायत्त रूप से करे, और बाहरी हस्तक्षेप से यह अधिकार कमजोर हो सकता है।

3. ****विवादों का विस्तार (Escalation of Conflict)****: कभी-कभी बाहरी हस्तक्षेप से स्थिति और भी जटिल हो सकती है और संघर्ष को बढ़ा सकता है।

****निष्कर्ष (Conclusion)**** हस्तक्षेप एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो राज्य की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय शांति के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को महसूस करता है। यह तब उचित माना जा सकता है जब मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, सैन्य संघर्षों में शांति की आवश्यकता हो, या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हस्तक्षेप अंतरराष्ट्रीय कानून और नियमों के तहत किया

जाए, और इससे स्थिति और भी जटिल न हो। ****हस्तक्षेप संबंधित प्रसिद्ध मामले (Famous Cases of Intervention)****

हस्तक्षेप (Intervention) एक विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा है, और इतिहास में कई मामलों में बाहरी हस्तक्षेप ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह हस्तक्षेप विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे कूटनीतिक, आर्थिक, या सैन्य हस्तक्षेप। नीचे कुछ प्रसिद्ध मामलों का वर्णन किया गया है, जहां हस्तक्षेप महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सामने आया:

1. ****इराक पर इराक का कुवैत पर आक्रमण (1990) - संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप****

****मामला****: 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो गया। इराक का आक्रमण वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। संयुक्त राष्ट्र ने इराक के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और 1991 में गठबंधन सेनाओं द्वारा सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी।

हस्तक्षेप**:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक को कुवैत से सेना वापस बुलाने के लिए कहा और सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी।

- 1991 में, संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी से "ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म" नामक सैन्य कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें अमेरिका और अन्य देशों के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं ने इराकी सेना को हराया और कुवैत को स्वतंत्र करवा लिया।

परिणाम*:

- इराक को कुवैत से अपनी सेना वापस लेनी पड़ी।

- यह हस्तक्षेप एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित था और वैश्विक शांति के लिए आवश्यक माना गया।

2. ****कोसोवो युद्ध (1999) - नाटो हस्तक्षेप***मामला****: 1990 के दशक में कोसोवो, जो उस समय सर्बिया का हिस्सा था, में सर्बियाई सेना और कोसोवो के अल्बानियाई नागरिकों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। सर्बियाई सेना ने अल्बानियाई नागरिकों पर अत्याचार और नरसंहार किया।

****हस्तक्षेप****: नाटो (NATO) ने बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के कोसोवो में सैन्य हस्तक्षेप किया, ताकि सर्बियाई सेना को अत्याचारों से रोका जा सके और शांति स्थापित की जा सके।

- नाटो की एयर स्ट्राइक ने सर्बियाई सेना को कोसोवो से बाहर निकालने के लिए दबाव डाला।

परिणाम*:

- कोसोवो ने 2008 में अपनी स्वतंत्रता घोषित की, हालांकि सर्बिया अभी भी कोसोवो को अपना हिस्सा मानता है।

- इस हस्तक्षेप ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर विवाद उत्पन्न किया।

3. ****लीबिया (2011) - लीबिया में संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप****मामला****: 2011 में लीबिया में तत्कालीन शासक मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ जनता ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। गद्दाफी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की, जिससे देश में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई।

****हस्तक्षेप****: - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी, ताकि गद्दाफी सरकार के अत्याचारों को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- नाटो के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान शुरू किया गया, जिसमें हवाई हमलों द्वारा गद्दाफी की सेना को कमजोर किया गया।

****परिणाम****: गद्दाफी सरकार गिर गई और मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया।

- हालांकि, लीबिया में संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, और देश में सत्ता की लड़ाई जारी रही, जिससे देश में अस्थिरता बनी रही।

4. **सीरिया गृहयुद्ध (2011- वर्तमान) - बाहरी हस्तक्षेप**

****मामला****: सीरिया में 2011 से गृहयुद्ध चल रहा है, जिसमें सरकारी सेना और विभिन्न विपक्षी समूहों के बीच संघर्ष है। इस संघर्ष में कई विदेशी ताकतें भी शामिल हैं, जैसे अमेरिका, रूस, और तुर्की।

****हस्तक्षेप****: सीरिया सरकार को रूस और ईरान से सैन्य सहायता मिली, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने विपक्षी समूहों को समर्थन दिया।

- अमेरिका ने आईएसआईएस (ISIS) के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप किया और विभिन्न आतंकवादी समूहों के खिलाफ हवाई हमले किए।

- तुर्की ने सीरिया के कुर्द नागरिकों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, जबकि रूस ने सीरिया सरकार की मदद के लिए सैन्य सहायता भेजी।

****परिणाम****:

- सीरिया में युद्ध अभी भी जारी है और देश में भारी अस्थिरता बनी हुई है।

- सैन्य हस्तक्षेपों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है और संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित कर दिया है।

5. **यूगोस्लाविया का विघटन और नाटो का हस्तक्षेप (1990s)**

****मामला****: 1990 के दशक में यूगोस्लाविया का विघटन हुआ और इसके परिणामस्वरूप कई युद्धों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं हुईं। विशेष रूप से, बोस्निया और हरज़ेगोविना में संघर्ष के दौरान, जातीय सफाया और युद्ध अपराधों की घटनाएं बढ़ गईं।

****हस्तक्षेप****:

- नाटो ने 1995 में बोस्निया में सैन्य हस्तक्षेप किया और शांति प्रक्रिया को लागू करने में मदद की।

- नाटो ने हवाई हमलों के माध्यम से सर्बिया को दबाव में लाया और बोस्निया में शांति समझौता हुआ।

****परिणाम****:

- बोस्निया और हरज़ेगोविना में शांति स्थापित हुई और युद्ध समाप्त हुआ।

- नाटो का हस्तक्षेप बोस्निया में जातीय संघर्षों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।

****निष्कर्ष****हस्तक्षेप के मामले अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत जटिल होते हैं, क्योंकि यह हमेशा राज्यों की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन की समस्या उत्पन्न करता है। हस्तक्षेप को अक्सर एक आवश्यक उपाय माना जाता है जब मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, अंतरराष्ट्रीय शांति खतरे में हो, या जब कोई राज्य किसी युद्ध या संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि, यह कई बार विवादों को जन्म भी देता है, और हस्तक्षेप के परिणाम न केवल उस राज्य, बल्कि पूरे क्षेत्र पर असर डाल सकते हैं।

Chapter- 4

राज्य उत्तरदायित्व

****राज्य उत्तरदायित्व (State Responsibility)**** का अर्थ है कि जब एक राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन या किसी अंतरराष्ट्रीय दायित्व की अवहेलना करता है, तो उसे इसके परिणामस्वरूप जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी, यदि किसी राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनी नियमों, संधियों, समझौतों या अन्य प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन होता है, तो उसे उस उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करें और यदि वह ऐसा नहीं करते, तो उन्हें दंड, मुआवजा या अन्य दायित्वों के रूप में जवाब देना होगा। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह राज्यों को उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराने का एक साधन प्रदान करता है।

****राज्य उत्तरदायित्व के मुख्य तत्व**:**

1. ****अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन**:** जब कोई राज्य किसी अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व का उल्लंघन करता है, तो उसे उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ता है।
2. ****क्षति का मुआवजा**:** राज्य को उस उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली क्षति या हानि का मुआवजा देना पड़ सकता है।
3. ****कानूनी परिणाम**:** उल्लंघन के परिणामस्वरूप राज्य के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य हस्तक्षेप, या न्यायिक निर्णय।

इस प्रकार, राज्य उत्तरदायित्व राज्य के कृत्यों और निर्णयों के लिए उसकी कानूनी जिम्मेदारी की पहचान करता है, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शांति और सहयोग बनाए रख सके।

****राज्य उत्तरदायित्व (State Responsibility)**** का अर्थ है कि जब एक राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन या किसी अंतरराष्ट्रीय दायित्व की अवहेलना करता है, तो उसे इसके परिणामस्वरूप जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी, यदि किसी राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनी नियमों, संधियों, समझौतों या अन्य प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन होता है, तो उसे उस उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करें और यदि वह ऐसा नहीं करते, तो उन्हें दंड, मुआवजा या अन्य दायित्वों के रूप में जवाब देना होगा। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह राज्यों को उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराने का एक साधन प्रदान करता है।

****राज्य उत्तरदायित्व के मुख्य तत्व**:**

1. ****अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन**:** जब कोई राज्य किसी अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व का उल्लंघन करता है, तो उसे उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ता है।
2. ****क्षति का मुआवजा**:** राज्य को उस उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली क्षति या हानि का मुआवजा देना पड़ सकता है।
3. ****कानूनी परिणाम**:** उल्लंघन के परिणामस्वरूप राज्य के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य हस्तक्षेप, या न्यायिक निर्णय।

इस प्रकार, राज्य उत्तरदायित्व राज्य के कृत्यों और निर्णयों के लिए उसकी कानूनी जिम्मेदारी की पहचान करता है, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शांति और सहयोग बनाए रख सके।

Chapter - 5

वायुयान अपहरण

****वायुयान अपहरण (Aircraft Hijacking) पर टिप्पणी****

****वायुयान अपहरण**** (Aircraft Hijacking) एक गंभीर अपराध है, जिसमें किसी विमान को अवैध तरीके से कब्जे में लिया जाता है। यह घटना तब होती है जब अपहरणकर्ता विमान के नियंत्रण को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिससे यात्रियों और कर्क के जीवन को खतरा हो सकता है। वायुयान अपहरण आमतौर पर आतंकवादी गतिविधियों, राजनीतिक कारणों, या फिर कुछ अन्य अपराधों के लिए किया जाता है।

****वायुयान अपहरण का इतिहास****

वायुयान अपहरण की घटनाएँ 20वीं सदी के मध्य से अधिक बढ़ने लगीं, और इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और कानून को चुनौती दी। 1970 के दशक में वायुयान अपहरण के कई प्रमुख मामले सामने आए थे, जिनमें आतंकवादी समूहों द्वारा विमान को अपहरण करने के उद्देश्य से यात्री और कू को बंधक बनाया गया। ऐसे मामलों में, अपहरणकर्ताओं के पास अक्सर राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्य होते थे।

****वायुयान अपहरण के कारण****

वायुयान अपहरण के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे:

1. ****आतंकवादी गतिविधियाँ****: कई बार आतंकवादी संगठन राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विमान का अपहरण करते हैं। वे विमान को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष सरकार या संस्था को धमकी देने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
2. ****राजनीतिक असंतोष****: कुछ अपहरणकर्ता अपने देश की सरकार या प्रशासन से असंतुष्ट होते हैं और अपहरण करके अपने विचारों और मांगों को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं।
3. ****व्यक्तिगत कारण****: कुछ अपहरणकर्ता अपनी व्यक्तिगत समस्याओं या अन्य मानसिक स्थितियों के कारण वायुयान का अपहरण करते हैं। ये आमतौर पर अकेले लोग होते हैं और उनका उद्देश्य अधिकतर यात्रियों को नुकसान पहुँचाना नहीं होता है।
4. ****लूटपाट****: कुछ अपहरणकर्ता लूटपाट या किसी प्रकार की चोरी के लिए विमान का अपहरण करते हैं।

****वायुयान अपहरण के परिणाम****

वायुयान अपहरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

1. ****यात्रियों और कू का जीवन खतरे में पड़ जाता है****: अपहरण के दौरान यात्रियों और विमान कू के जीवन को खतरा हो सकता है, खासकर यदि अपहरणकर्ता हिंसक होते हैं।
2. ****आतंक का माहौल बनता है****: ऐसे घटनाएँ समाज में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न करती हैं, जिससे यात्रा और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं।
3. ****राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव****: वायुयान अपहरण कभी-कभी देशों के बीच तनाव का कारण बन सकता है, खासकर जब अपहरणकर्ताओं के पास कोई राजनीतिक या आतंकवादी उद्देश्य होता है।
4. ****आर्थिक नुकसान****: विमान कंपनियों और देशों को वायुयान अपहरण से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में सुरक्षा उपायों को कड़ा किया जाता है, जिससे यात्रा की लागत बढ़ सकती है।

****वायुयान अपहरण पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया****

वायुयान अपहरण पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठोर कानून और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता महसूस की गई है। कई अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और कानून बनाए गए हैं, जो वायुयान अपहरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए देशों को प्रेरित करते हैं।

1. ****हग कांसुलेट के संधि (1970)****: यह संधि वायुयान अपहरण को अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में परिभाषित करती है और यह अपहरणकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए देशों को बाध्य करती है।
2. ****संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद****: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वायुयान अपहरण की घटनाओं को गंभीरता से लेती है और इसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।
3. ****आंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)****: ICAO वायुयान सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियमों और प्रोटोकॉल की स्थापना करता है, जिससे अपहरण की घटनाओं को रोका जा सके।

****वायुयान अपहरण के खिलाफ उपाय****

वायुयान अपहरण को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं:

1. ****सख्त सुरक्षा जांच****: आजकल हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच कड़ी की गई है, जिसमें यात्रियों और उनके सामान की बारीकी से जांच की जाती है।
2. ****प्रशिक्षित सुरक्षा बल****: वायुयान में सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है, जिन्हें अपहरण जैसी स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।
3. ****सैन्य और पुलिस हस्तक्षेप****: यदि अपहरण का मामला गंभीर हो जाए, तो सैन्य और पुलिस की टीमों को विमान के कब्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए तैनात किया जाता है। ****निष्कर्ष**** वायुयान अपहरण एक गंभीर और संवेदनशील अपराध है जो न केवल यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून और सुरक्षा उपायों को सख्त किया गया है, लेकिन फिर भी यह एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है। इसके लिए देशों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है ताकि वायुयान अपहरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें।

Chapter-6

सन्धियाँ

****संधि क्या है?*****

****संधि**** (Treaty) एक अंतरराष्ट्रीय समझौता या अनुबंध है, जो दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। संधियों का उद्देश्य एक निश्चित दायित्व, अधिकार या समझौता स्थापित करना होता है, ताकि उन देशों के बीच सहयोग बढ़ सके या किसी समस्या का समाधान हो सके। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, और इसके अंतर्गत शामिल पक्ष एक-दूसरे से सहमत होकर अपने-अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं।

संधि को अंतरराष्ट्रीय कानूनी संदर्भ में एक लिखित या मौखिक समझौता माना जाता है, जिसमें दोनों या अधिक पक्षों की सहमति होती है और जो अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है। संधि के अंतर्गत किए गए वचन या दायित्वों का उल्लंघन होने पर, जिम्मेदार पक्ष को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या अन्य अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं के समक्ष उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

****अंतरराष्ट्रीय विधि में विभिन्न प्रकार की संधियाँ*****

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संधियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, और इन्हें उनकी प्रकृति और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. ****द्विपक्षीय संधियाँ (Bilateral Treaties)**** यह संधि दो देशों के बीच की जाती है। इसमें दोनों पक्षों के बीच विशेष रूप से समझौते होते हैं, जो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, व्यापारिक संधियाँ, सुरक्षा संधियाँ आदि। ****उदाहरण****: भारत और अमेरिका के बीच "भारत-अमेरिका न्यूक्लियर डील" एक द्विपक्षीय संधि है।

2. ****बहुपक्षीय संधियाँ (Multilateral Treaties)**** यह संधियाँ तीन या तीन से अधिक देशों के बीच होती हैं। बहुपक्षीय संधियाँ आमतौर पर वैश्विक या क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित होती हैं और इनके तहत विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, या पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए समझौते। ****उदाहरण****: "पेरिस जलवायु समझौता" एक बहुपक्षीय संधि है, जिसमें 190 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया है।

3. ****संविधानिक संधियाँ (Constitutional Treaties)**** यह संधियाँ किसी विशेष अंतरराष्ट्रीय संगठन या संघ की स्थापना के लिए की जाती हैं। इन संधियों के द्वारा देशों के एकजुट होने और सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाती है।

****उदाहरण****: संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) का चार्टर एक संविधानिक संधि है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

4. ****अधिकारिक संधियाँ (Optional Treaties)****

इन संधियों का उद्देश्य किसी विशेष अंतरराष्ट्रीय संस्था या संगठन में भागीदारी या सदस्यता प्राप्त करना होता है। ये संधियाँ देशों के बीच एक स्वतंत्र समझौता होती हैं, और इसके तहत दोनों पक्षों के कुछ अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित किया जाता है।

****उदाहरण****: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के सदस्य बनने के लिए देशों के बीच अधिकारिक संधियाँ होती हैं।

5. ****कानूनी संधियाँ (Legal Treaties)****

यह संधियाँ एक निश्चित कानूनी अनुशासन पर आधारित होती हैं, जैसे व्यापार, मानवाधिकार, पर्यावरण या सुरक्षा से संबंधित। इनमें देशों के बीच कानूनी दायित्व होते हैं और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत लागू होती हैं।

****उदाहरण****: "जेनेवा कन्वेंशन" एक कानूनी संधि है, जो युद्ध के दौरान घायल या बीमार सैनिकों की देखभाल के लिए है।

6. ****संविधानिक-अधिकार संधियाँ (Constitutional-Right Treaties)****

यह संधियाँ किसी विशेष अधिकार या सुरक्षा को कानूनी रूप से सुनिश्चित करने के लिए होती हैं। इनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकारों की रक्षा करना होता है।

****उदाहरण****: "अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौता" एक संविधानिक-अधिकार संधि है, जो देशों के बीच मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्रचार के लिए बनाई गई है।

7. ****सुरक्षा संधियाँ (Security Treaties)****

यह संधियाँ देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग से संबंधित होती हैं। इन संधियों का उद्देश्य देशों की सैन्य शक्ति को मजबूत करना और आपसी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।

****उदाहरण****: "नाटो संधि" (NATO Treaty) एक सुरक्षा संधि है, जिसमें सदस्य देशों के बीच आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग होता है।

8. ****व्यापारिक संधियाँ (Commercial Treaties)****

यह संधियाँ देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से होती हैं। इन संधियों के तहत वस्त्र, सेवाएँ, निवेश और अन्य व्यापारिक गतिविधियों पर समझौते किए जाते हैं।

****उदाहरण****: "भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता" एक व्यापारिक संधि का उदाहरण है।

****संधियों की प्रक्रिया**** संधि बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है:

1. ****संधि प्रस्ताव (Treaty Proposal)****: सबसे पहले, एक पक्ष दूसरे पक्ष को संधि के लिए प्रस्ताव भेजता है।
2. ****संधि पर बातचीत (Negotiation)****: दोनों पक्षों के प्रतिनिधि संधि के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करते हैं।
3. ****संधि पर हस्ताक्षर (Signature)****: जब दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
4. ****स्वीकृति (Ratification)****: संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद, इसे कानूनी रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक देश की राष्ट्रीय विधायिका द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

5. ****संधि का पालन (Implementation)****: एक बार संधि की स्वीकृति मिल जाने के बाद, संबंधित देश इसे अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप लागू करते हैं।

****निष्कर्ष****संधियाँ अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कानूनी व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे देशों के बीच समझौता, शांति, सुरक्षा, और सहयोग के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं। संधियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं और उनके द्वारा देशों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित होता है और वैश्विक समुदाय में शांति और समृद्धि बनी रहती है।

****अवैध संधि क्या है?***

****अवैध संधि**** (Illegal Treaty) वह संधि होती है जो अंतरराष्ट्रीय कानून, किसी देश के संविधान, या उसके कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करके की जाती है। इस प्रकार की संधियाँ कानूनी रूप से मान्य नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें किसी न किसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया होता है।

अवैध संधियाँ आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से हो सकती हैं:

1. ****अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन****: यदि कोई संधि अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों, जैसे कि मानवाधिकार, युद्ध कानून या पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करती है, तो इसे अवैध माना जाएगा।
2. ****देश के संविधान या कानून का उल्लंघन****: जब कोई संधि किसी देश के संविधान या राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ होती है, तो वह अवैध मानी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संधि किसी देश की संप्रभुता को नष्ट करने या राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाने वाली होती है, तो उसे अवैध माना जाएगा।
3. ****हस्ताक्षरकर्ता की अवैध स्थिति****: यदि किसी संधि पर उस व्यक्ति या संस्था ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसे ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं था, तो ऐसी संधि अवैध मानी जाएगी।
4. ****धोखाधड़ी या दबाव****: यदि संधि को धोखाधड़ी, बल, दबाव, या अनुचित प्रभाव डालकर मंजूरी दी जाती है, तो उसे अवैध समझा जाएगा।

****अवैध संधियाँ किन कारणों से समाप्त हो जाती हैं?***

अवैध संधियाँ कानूनी रूप से मान्य नहीं होतीं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानूनी दृष्टिकोण से समाप्त माना जा सकता है। ऐसी संधियों की समाप्ति के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. ****अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा समाप्ति****:

जब कोई संधि अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, तो संबंधित देशों और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इसे अवैध और समाप्त घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई संधि युद्ध अपराधों या मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होती है, तो यह अवैध मानी जाती है और इसे रद्द किया जा सकता है।

2. ****स्वीकृति या अनुमोदन की कमी****:

यदि किसी संधि को आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं, जैसे कि संबंधित देश की राष्ट्रीय संसद या संविधानिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो वह संधि अवैध मानी जाती है और उसे समाप्त किया जा सकता है।

3. ****बाह्य दबाव या धमकी****:

अगर किसी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी देश पर बाहरी दबाव या धमकी डाली जाती है, तो वह संधि अवैध मानी जाती है और बाद में इसे समाप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में, संबंधित देश के पास इस संधि को रद्द करने का अधिकार होता है।

4. ****संविधान के खिलाफ होना****:

यदि कोई संधि किसी देश के संविधान के खिलाफ होती है, तो उस संधि को असंवैधानिक माना जाएगा और यह समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई संधि उस देश की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को नष्ट करने वाली हो, तो वह अवैध होगी और उसे रद्द किया जा सकता है।

5. ****सहमति की वापसी****:

कभी-कभी संधियों को शर्तों के तहत रद्द किया जा सकता है। यदि कोई पक्ष संधि से अपनी सहमति वापस लेता है, या यह साबित कर देता है कि संधि के तहत उसे धोखा दिया गया था, तो संधि समाप्त हो सकती है।

6. ****विधिक दोष****:

यदि संधि के प्रारंभिक दस्तावेज़ में कोई कानूनी दोष या अनियमितता है, जैसे कि गलत जानकारी दी गई हो या दस्तावेज़ की वैधता को चुनौती दी गई हो, तो उस संधि को रद्द किया जा सकता है।

****निष्कर्ष**** अवैध संधियाँ वो समझौते होती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या संविधान के खिलाफ होती हैं। ऐसी संधियाँ कानूनी रूप से मान्य नहीं होतीं और इन्हें रद्द किया जा सकता है।

Chapter- 7

समुद्र विधि

****समुद्र तटवर्ती प्रदेश के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विधि के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना****

समुद्र तटवर्ती प्रदेश (Maritime Zones) के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विधि के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो समुद्र के संसाधनों का उचित उपयोग, सुरक्षा, और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। समुद्र तटवर्ती देशों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री समुदाय के बीच सही संतुलन बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समुद्र के प्रयोग में निष्पक्षता, शांति और सहयोग सुनिश्चित करना है।

इन सिद्धांतों को मुख्य रूप से ****संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS)**** में नियत किया गया है। समुद्र से संबंधित देशों के अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रबंधन के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता है।

****समुद्र तटवर्ती प्रदेश के सिद्धांत****

1. ****राष्ट्रीय जल क्षेत्र (Territorial Sea)****

- ****सिद्धांत****: हर तटवर्ती राज्य के पास समुद्र के एक निश्चित हिस्से पर संप्रभु अधिकार होते हैं। यह क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है। इस क्षेत्र के भीतर राज्य को पूर्ण संप्रभु अधिकार होते हैं, जिसमें समुद्री संसाधनों का दोहन और सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन शामिल है।

- ****महत्व****: राष्ट्रीय जल क्षेत्र के भीतर राज्य का अधिकार अन्य देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और समुद्री संसाधनों का उपयोग करने का होता है।

2. ****आधिकारिक जल (Contiguous Zone)****

- ****सिद्धांत****: राष्ट्रीय जल क्षेत्र से बाहर, 12 से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को "आधिकारिक जल" कहा जाता है। इस क्षेत्र में, तटवर्ती राज्य को केवल कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं, जैसे कि अप्रवासन, सीमा सुरक्षा, और कस्टम कानूनों का पालन कराना।

- ****महत्व****: यह क्षेत्र तटवर्ती राज्य को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन रोकने के लिए एक वैध अधिकार देता है।

3. ****आर्थिक विशेष क्षेत्र (Exclusive Economic Zone - EEZ)****

- ****सिद्धांत****: तटवर्ती राज्य को अपनी तटरेखा से 200 समुद्री मील तक एक ****विशेष आर्थिक क्षेत्र**** (EEZ) मिलता है। इस क्षेत्र में, राज्य को समुद्र के संसाधनों का दोहन करने का अधिकार होता है, लेकिन अन्य देशों के जहाजों को शांति से यहां से गुजरने की स्वतंत्रता होती है।

- ****महत्व****: यह क्षेत्र समुद्री संसाधनों का उपयोग करने और उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य को समुद्र तल से पेट्रोलियम, खनिज, मछलियाँ आदि निकालने का अधिकार मिलता है।

4. ****महासागर की मुक्तता (Freedom of the High Seas)****- ****सिद्धांत****: समुद्र का वह भाग जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वह "महासागर की मुक्तता" के अंतर्गत आता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि महासागर के खुले क्षेत्रों में सभी देशों को स्वतंत्रता मिले, जिसमें नौवहन, उड़ान, मछली पकड़ने, और अन्य समुद्री गतिविधियाँ शामिल हैं।- ****महत्व****: यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और संचार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और समुद्र को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है।

5. ****समुद्र तल का क्षेत्र (The Area - International Seabed Area)****- ****सिद्धांत****: समुद्र तल का क्षेत्र एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है, जिसे सभी देशों के लिए खुला और साझा किया गया है। समुद्र तल का दोहन या संसाधनों का उपयोग करने के लिए, इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि के तहत अनुमोदित किया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्र के संसाधनों का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण करना है। - ****महत्व****: यह सिद्धांत समुद्र तल से संसाधन निकालने की प्रक्रिया में तटवर्ती देशों के अधिकारों के साथ-साथ अन्य देशों के हितों का भी सम्मान करता है।

6. ****अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग (International Straits)****- ****सिद्धांत****: उन जलमार्गों पर विशेष अधिकार होते हैं जो एक या अधिक देशों के बीच होते हैं और जिन्हें अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है। इन जलमार्गों का उपयोग सभी देशों के लिए अवरोध मुक्त होता है, जिससे नौवहन में कोई बाधा न हो। इन जलमार्गों का उपयोग तटवर्ती देशों और अन्य देशों के बीच समान रूप से किया जा सकता है। - ****महत्व****: अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग समुद्री संचार और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इन पर सभी देशों का समान अधिकार होता है।

7. ****समुद्र का संरक्षण (Marine Environment Protection)**** - ****सिद्धांत****: समुद्र के पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून स्थापित किया गया है। तटवर्ती देशों को अपने जलक्षेत्र में प्रदूषण की रोकथाम करने की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके।- ****महत्व****: यह सिद्धांत समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जरूरी है और इसे हर राज्य को पूरी दुनिया की भलाई के लिए लागू करना होता है।

****निष्कर्ष**** समुद्र तटवर्ती प्रदेश के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांत समुद्र के संसाधनों के उचित उपयोग, सुरक्षा, और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। इन सिद्धांतों से देशों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण होता है, ताकि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधनों का विवेकपूर्ण और समान रूप से उपयोग किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS) इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए एक आधार बनाती है और यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री शांति और सहयोग को बढ़ावा देती है।

****अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र पर टिप्पणी (International Seabed Area)********अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र**** (International Seabed Area), जिसे "The Area" भी कहा जाता है, समुद्र के तल का वह हिस्सा है जो किसी एक देश के संप्रभुता क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS) के तहत एक साझा अंतरराष्ट्रीय संपत्ति के रूप में माना जाता है, जिसका उद्देश्य समुद्र के तल के संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह एक ऐसी जगह है, जिसे सभी देशों के लिए खोल दिया गया है और इसे किसी भी एक राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता।

****अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र की विशेषताएँ****

1. ****वैश्विक साझा संपत्ति****: अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र किसी एक देश के स्वामित्व में नहीं है। इसे एक वैश्विक साझा संपत्ति माना जाता है, जिस पर सभी देशों का समान अधिकार है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समुद्र के तल के संसाधनों का उपयोग न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, न कि किसी एक देश या समूह के पक्ष में।

2. ****समुद्र तल के संसाधन****: इस क्षेत्र के तहत समुद्र तल पर पाए जाने वाले खनिज, पेट्रोलियम, गैस और अन्य खनिज संसाधन आते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए देशों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समझौते करने होते हैं और इनका सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना होता है।

3. ****अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority - ISA)****: समुद्र तल क्षेत्र के संसाधनों का प्रशासन और नियमन करने के लिए ****अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण**** का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण समुद्र तल के संसाधनों के खनन, दोहन और संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इन संसाधनों का दोहन पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न हो। ISA का मुख्यालय जमैका में स्थित है।

4. ****समुद्र तल के संसाधनों का निष्पक्ष वितरण****: समुद्र तल के संसाधनों का दोहन और वितरण वैश्विक हित में किया जाता है, ताकि किसी भी देश को विशेष रूप से लाभ न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है, जिसके तहत समुद्र तल के संसाधनों से उत्पन्न होने वाली आय का कुछ हिस्सा विकासशील देशों को वितरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ****समुद्र तल फंड**** (Seabed Distributive Fund) के रूप में लागू किया गया है।

5. ****पर्यावरणीय संरक्षण****: समुद्र तल के संसाधनों का दोहन करते समय पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग करते समय, पर्यावरणीय संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुद्र तटीय और समुद्र-जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न हो, ISA पर्यावरणीय दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

****अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र के महत्व****

1. ****वैश्विक सहयोग को बढ़ावा****: अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यह क्षेत्र यह सुनिश्चित करता है कि समुद्र तल के संसाधनों का उपयोग केवल तटवर्ती देशों द्वारा नहीं किया जाए, बल्कि सभी देशों को न्यायपूर्ण रूप से इसका लाभ मिले। यह वैश्विक साझेदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

2. ****आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ****: समुद्र तल के संसाधनों का दोहन वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है। साथ ही, इसका पर्यावरणीय रूप से सही तरीके से किया जाना आवश्यक है ताकि समुद्र तटवर्ती देशों के साथ-साथ समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान न पहुंचे। इसका सही तरीके से दोहन करने से वैश्विक आय में वृद्धि हो सकती है और वैश्विक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

3. ****समुद्री संसाधनों का स्थायी उपयोग****: समुद्र तल क्षेत्र के संसाधनों का दोहन स्थायी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ने कई नियम और दिशा-निर्देश बनाए हैं, ताकि खनन गतिविधियाँ पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएँ और समुद्र की जैविक विविधता बनी रहे।

****निष्कर्ष**** अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र का महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। यह न केवल समुद्र के संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करता है, बल्कि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए भी अहम भूमिका निभाता है। समुद्र तल के संसाधनों का दोहन करते समय पारिस्थितिकीय सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और

न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसे वैश्विक सहयोग, न्याय और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

Chapter-8

बाह्य अन्तरिक्ष, चंद्रमा, तथा अंटार्कटिका

****बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित विधि का विश्लेषण (Space Law Analysis)****

****बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित विधि (Space Law)**** अंतरराष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो बाहरी अंतरिक्ष, ग्रहों, और अन्य आकाशीय पिंडों के उपयोग, अन्वेषण, और गतिविधियों के नियमन से संबंधित है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण, सुरक्षित, और न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित विधि के विभिन्न सिद्धांत और नियमों का पालन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, ताकि अंतरिक्ष गतिविधियाँ सभी देशों के लिए लाभकारी और सुरक्षित बनी रहें।

****बाहरी अंतरिक्ष विधि के प्रमुख सिद्धांत****

1. ****अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग (Peaceful Use of Outer Space)****:

- बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। युद्ध, हथियारों का परीक्षण या अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं है। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून में स्थापित किया गया है, विशेष रूप से ****अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty)**** के माध्यम से, जो 1967 में लागू हुई।

- इसका उद्देश्य अंतरिक्ष को युद्ध के मैदान से बचाना और मानवता के भले के लिए उपयोगी बनाना है।

2. ****अंतरिक्ष का साझा उपयोग (Free Access to Outer Space)****: - बाहरी अंतरिक्ष सभी देशों के लिए खुला और साझा है। किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार स्थापित कर सके। यह सिद्धांत ****अंतरिक्ष संधि (1967)**** में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।- इसका मतलब है कि सभी देशों को बिना किसी भेदभाव के अंतरिक्ष का उपयोग और अन्वेषण करने का समान अधिकार है।

3. ****राष्ट्रों की जिम्मेदारी (Liability of Nations)****:- बाहरी अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी गतिविधि के लिए देशों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वह गतिविधि अंतरिक्ष में हो या पृथ्वी पर उसका प्रभाव हो। ****अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty)**** और ****दूसरी कानूनी संधियाँ**** (जैसे, ****लीबिलिटी कंवेशन****) के तहत यह जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। - अगर किसी देश का उपग्रह या अंतरिक्ष यान किसी अन्य देश के उपग्रह या अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुँचाता है, तो उस देश को उस नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

4. ****बाहरी अंतरिक्ष में देशों की अन्वेषण और उपयोग के अधिकार (Sovereignty and Non-Appropriation)****: - बाहरी अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों पर किसी भी प्रकार का संप्रभु अधिकार स्थापित करना निषेध है। अर्थात् कोई देश किसी ग्रह, उपग्रह या किसी अन्य आकाशीय पिंड को अपनी संप्रभुता का हिस्सा नहीं बना सकता। - यह सिद्धांत ****अंतरिक्ष संधि**** में निहित है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी देश को बाहरी अंतरिक्ष, चंद्रमा या अन्य आकाशीय पिंडों पर संप्रभु अधिकार स्थापित करने का अधिकार नहीं है।

5. ****बाहरी अंतरिक्ष में पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection)****: - अंतरिक्ष की गतिविधियों के दौरान पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करना भी बाहरी अंतरिक्ष विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अंतरिक्ष में कचरा (space debris) और अन्य प्रदूषण से बचने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। - उदाहरण के लिए, ****संयुक्त राष्ट्र का अंतरिक्ष पर्यावरण कचरा प्रबंधन**** और ****संरक्षण की दिशा में कार्रवाई**** अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा है।

6. ****वाणिज्यिक गतिविधियाँ और अंतरिक्ष उद्योग (Commercial Activities and Space Industry)****: - अंतरराष्ट्रीय कानून ने बाहरी अंतरिक्ष में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भी दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। इसमें निजी कंपनियाँ, अंतरिक्ष पर्यटन, और अंतरिक्ष में संसाधन उत्खनन शामिल हैं। हालांकि, यह सभी गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के तहत नियंत्रित होती हैं। - 1979 में ****चंद्रमा संधि (Moon Treaty)**** के अंतर्गत, चंद्रमा पर होने वाली सभी गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ****बाहरी अंतरिक्ष विधि के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियाँ****

1. ****अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty, 1967)****: - यह सबसे प्रमुख और बुनियादी अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो बाहरी अंतरिक्ष में मानव गतिविधियों के नियमन के लिए निर्धारित किया गया था। इसमें अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग, देशों की जिम्मेदारी, और बाहरी अंतरिक्ष में संप्रभु अधिकारों की अवहेलना के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

2. ****लीबिलिटी कंवेंशन (Liability Convention, 1972)****: - इस कंवेंशन के तहत बाहरी अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी गतिविधि के कारण होने वाले नुकसान के लिए देशों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी देश का अंतरिक्ष यान किसी अन्य देश के उपग्रह या अन्य अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

3. ****सुरक्षा कंवेंशन (Registration Convention, 1976)****: - इस कंवेंशन में यह निर्धारित किया गया है कि सभी देशों को अपने अंतरिक्ष यान और उपग्रहों को संयुक्त राष्ट्र के पास पंजीकरण कराना होगा। इसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष में सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना है।

4. ****चंद्रमा संधि (Moon Treaty, 1979)****: - यह संधि विशेष रूप से चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों के अन्वेषण और उपयोग के लिए बनाई गई है। इसके तहत चंद्रमा को वैश्विक साझा संपत्ति माना गया है और इसमें सभी देशों को उसमें संसाधन प्राप्त करने का समान अधिकार दिया गया है।

****निष्कर्ष**** बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित विधि का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग और अन्वेषण को नियंत्रित करना और उसका सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण रूप से दोहन सुनिश्चित करना है। अंतरिक्ष संधि और अन्य संबंधित समझौतों ने यह सुनिश्चित किया है कि बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग केवल मानवता के भले के लिए हो, न कि युद्ध या वर्चस्व के उद्देश्य से। बाहरी अंतरिक्ष विधि के सिद्धांत और नियमों का पालन करना सभी देशों के लिए अनिवार्य है, ताकि अंतरिक्ष के संसाधनों का उचित और स्थायी उपयोग किया जा सके।

****अंटार्कटिका पर टिप्पणी (Commentary on Antarctica)**** ****अंटार्कटिका** (Antarctica)**, पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप, एक विशाल बर्फीला क्षेत्र है जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास फैला हुआ है। यह महाद्वीप पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है और यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में जीवन के लिए अत्यधिक कठोर परिस्थितियाँ हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक अनुसंधान, पारिस्थितिकी, और प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में वैश्विक महत्व रखता है।

****अंटार्कटिका का महत्व****

1. ****वैज्ञानिक अनुसंधान****: अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए एक अद्वितीय स्थान माना जाता है। यहाँ पर कई अनुसंधान स्टेशन स्थापित हैं, जहाँ पर वातावरण, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर, और जीवविज्ञान से संबंधित

महत्वपूर्ण अनुसंधान किए जाते हैं। यह महाद्वीप जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, और पृथ्वी के पर्यावरणीय तंत्र को समझने में मदद करता है। अंटार्कटिका के बर्फीले कोर से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के प्राचीन जलवायु का अध्ययन करने का अवसर मिलता है।

2. ****पारिस्थितिकी और जैव विविधता****: अंटार्कटिका में जीवन की कोई स्थायी उपस्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ कई विशेष प्रकार के जीव-जंतु रहते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील, व्हेल, और बहुत से समुद्री जीव। हालांकि, यहाँ जीवन की उपस्थिति अत्यंत सीमित है, लेकिन यह महाद्वीप पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है।

3. ****प्राकृतिक संसाधन****: अंटार्कटिका में खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार होने का अनुमान है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत इन संसाधनों का दोहन अभी तक निषेधित है। भविष्य में यदि यहाँ के खनिज और अन्य संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं, तो इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर हो सकता है।

****अंटार्कटिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून****: अंटार्कटिका के संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ****अंटार्कटिका संधि (Antarctic Treaty)**** 1959 में बनाई थी, जो इस महाद्वीप पर शांति, विज्ञान और पारिस्थितिकी के संरक्षण की दिशा में काम करती है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से उपयोग करने की अनुमति है। यह संधि अंटार्कटिका को सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षण, और खनन गतिविधियों से मुक्त रखती है।

****अंटार्कटिका संधि के प्रमुख बिंदु****: 1. ****शांतिपूर्ण उपयोग****: अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, और यहाँ पर किसी प्रकार की सैन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं है।

2. ****वैज्ञानिक सहयोग****: अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और विभिन्न देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

3. ****संप्रभुता का दावा नहीं****: कोई भी देश अंटार्कटिका पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। सभी देशों के लिए यह एक साझा क्षेत्र है।

4. ****खनन पर प्रतिबंध****: अंटार्कटिका में खनन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर प्रतिबंध है, जो 2048 तक लागू रहेगा।

5. ****पारिस्थितिकी संरक्षण****: अंटार्कटिका में पारिस्थितिकी और जैव विविधता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

****अंटार्कटिका के पर्यावरणीय मुद्दे****

1. ****जलवायु परिवर्तन****: अंटार्कटिका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ की बर्फ की परतों का पिघलना समुद्र स्तर के वृद्धि का एक प्रमुख कारण बन सकता है, जो वैश्विक तटों को प्रभावित करेगा।

2. ****ग्लोबल वार्मिंग****: अंटार्कटिका में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी के पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहे हैं और इसका वैश्विक तापमान पर क्या असर पड़ेगा।

3. ****प्राकृतिक संसाधन और खनन****: हालांकि अंटार्कटिका में खनिजों और तेल के भंडार की संभावना है, परंतु इनका दोहन पर्यावरणीय संकट पैदा कर सकता है। वर्तमान में, अंटार्कटिका संधि के तहत खनन गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं, लेकिन भविष्य में इन संसाधनों के दोहन का दबाव बढ़ सकता है।

****निष्कर्ष****: अंटार्कटिका का स्थान पृथ्वी पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है, बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय संकटों को समझने और उनका समाधान खोजने में भी सहायक है। अंतरराष्ट्रीय

समुदाय ने अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए एकजुट होकर कानूनी ढांचा तैयार किया है, ताकि यह क्षेत्र शांति और सहयोग के साथ उपयोग किया जा सके। हालांकि, भविष्य में इसके संसाधनों के दोहन और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर और भी अंतरराष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता हो सकती है। अंटार्कटिका का पर्यावरणीय संरक्षण और इसका सतत उपयोग वैश्विक हित में महत्वपूर्ण होगा।

Chapter- 9

पर्यावरण

****पर्यावरण का अर्थ**:**

पर्यावरण (Environment) वह प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण है, जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। यह हमारे चारों ओर के जीवन का संपूर्ण तंत्र है, जिसमें हवा, पानी, मृदा, पौधे, जानवर, और मनुष्य के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक तत्व भी शामिल हैं।

पर्यावरण में दो मुख्य घटक होते हैं:

1. ****प्राकृतिक पर्यावरण****: इसमें सभी प्राकृतिक तत्व जैसे वायुमंडल (हवा), जल, मृदा, वन, पहाड़, नदियाँ, झीलें, समुद्र, सूर्य की रोशनी, और अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। ये सभी जीवन के लिए आवश्यक हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं।
2. ****मानव निर्मित पर्यावरण****: इसमें मानव द्वारा बनाए गए संरचनाएँ और व्यवस्थाएँ शामिल हैं, जैसे घर, सड़के, उद्योग, शहर, इमारतें, और अन्य मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएँ और सेवाएँ। इनका उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है।

****पर्यावरण का महत्व**:**

- पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, जैसे कि स्वच्छ जल, हवा, खाद्य, और ऊर्जा।
- यह जैव विविधता का घर है, जो विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखता है।
- पर्यावरण की रक्षा से ही हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता बनी रहती है।
- यह जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करने में सहायक है।

अतः पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन कर सकें।

****पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 27 सिद्धांत (Earth Summit 27 Principles)**** पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे ****रियो डी जनेरियो शिखर सम्मेलन**** भी कहा जाता है, 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और स्थायी विकास को बढ़ावा देना था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ****रियो घोषणा**** (Rio Declaration) को अपनाया गया था, जिसमें ****27 सिद्धांत**** दिए गए थे, जो पर्यावरण और विकास के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यह 27 सिद्धांत पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पर्यावरणीय और विकास संबंधी नीतियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाज के विभिन्न हिस्सों को पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में जागरूक करना था।

****पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 27 सिद्धांत****

1. ****मनुष्य और पर्यावरण का संबंध****: - मानवता का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करते हुए जीवन स्तर को सुधारना है।
2. ****प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग****: - प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसे तरीके से किया जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करे।
3. ****विकास का अधिकार****: - प्रत्येक देश को अपने विकास का अधिकार है, लेकिन यह विकास पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलित और स्थायी होना चाहिए।
4. ****भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्त विकास****: - विकास के रास्ते में किसी भी प्रकार का शोषण या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यह विकास सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे।
5. ****प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और संरक्षण****: - पर्यावरण के सभी घटकों (जैसे जल, वायु, वन, मिट्टी) का संरक्षण किया जाए ताकि भविष्य में कोई संकट उत्पन्न न हो।
6. ****विकास और पर्यावरणीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग****: - विभिन्न देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए ताकि वे अपने पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझा सकें।
7. ****विकासशील देशों का विशेष ध्यान रखना****: - विकासशील देशों को अपने विकास की दिशा में विशेष समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन होते हैं।
8. ****विकास की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएँ****: - विकास के लिए केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी योजना बनाई जानी चाहिए।
9. ****प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण****: - सभी देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण किया जाए।
10. ****पर्यावरणीय संरक्षण का जिम्मा सभी का है****: - सभी देशों और व्यक्तियों को पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
11. ****विकसित देशों की जिम्मेदारी****: - विकसित देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने विकास के प्रभावों को अन्य देशों पर न डालें और वे पर्यावरण के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाएँ।
12. ****महिला और पर्यावरण****: - महिला सशक्तिकरण को पर्यावरणीय विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि महिलाएँ पारिस्थितिकी से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाती हैं।
13. ****मूल्य और संस्कृति के महत्व का सम्मान****: - विभिन्न देशों की सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय पारिस्थितिकी का सम्मान किया जाना चाहिए।
14. ****जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण****: - अधिक जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान करने के उपाय खोजे जाएं।
15. ****संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण****: - पारिस्थितिकीय प्रणालियों, जैसे जंगल, मरुस्थल, महासागर आदि, का संरक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए।
16. ****सूचना का मुक्त प्रवाह****: - पर्यावरणीय मुद्दों पर जानकारी और डेटा का पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।
17. ****शासन और पारदर्शिता****: - पर्यावरणीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
18. ****स्थानीय समुदायों का समावेश****: - पर्यावरणीय नीति निर्माण में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
19. ****संपत्ति अधिकारों का सम्मान****: - प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में संपत्ति अधिकारों का सम्मान किया जाए।
20. ****विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएँ****: - विकास न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी किया जाए।
21. ****विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता****: - विकासशील देशों को पर्यावरणीय विकास और संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

22. ****सामूहिक कार्यों की प्राथमिकता****: - सामूहिक और सहयोगात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को पूरी दुनिया में बढ़ावा मिले।
23. ****प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्कता****: - प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए योजना और तैयारी की जाए।
24. ****संसाधनों के उपयोग में अधिक जिम्मेदारी****: - संसाधनों का उपयोग अधिक जिम्मेदारी से किया जाए, ताकि उनका अत्यधिक शोषण न हो।
25. ****स्थिरता के सिद्धांत का पालन****: - सभी देशों को स्थिरता के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने विकास को संचालित करना चाहिए।
26. ****पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता****: - पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रयास किए जाएं।
27. ****वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में योगदान****: - प्रत्येक देश को वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
- **निष्कर्ष****: पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 27 सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम न केवल पर्यावरणीय संकटों को टाल सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और हरित भविष्य की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। इन सिद्धांतों में हर व्यक्ति, देश और समुदाय को पर्यावरण के संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया है।
- **पर्यावरण संरक्षण के उपाय****: पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह हमारे जीवन और पृथ्वी पर अन्य सभी जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम विभिन्न उपायों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। नीचे कुछ मुख्य पर्यावरण संरक्षण के उपाय दिए गए हैं:
- 1. **वृक्षारोपण (Tree Plantation)****: - वृक्षों का महत्व अत्यधिक है क्योंकि वे पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनेगा।
 - 2. **जल संरक्षण (Water Conservation)****: - जल अत्यधिक मूल्यवान संसाधन है, और उसका संरक्षण करना आवश्यक है। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, और पाइपों में लीक की मरम्मत जैसे उपायों से जल की बचत की जा सकती है। - साथ ही, अधिक से अधिक जल पुनर्चक्रण (recycling) के उपायों को अपनाकर पानी के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है।
 - 3. **ऊर्जा की बचत (Energy Conservation)****: - ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। ऊर्जा की बचत के लिए हमें ऊर्जा-efficient उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि LED बल्ब, सोलर पैनल, और ऊर्जा बचाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। - इसके अलावा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
 - 4. **प्लास्टिक का उपयोग कम करना (Reducing Plastic Use)****: - प्लास्टिक पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाता है, खासकर समुद्रों में। इसे कम करने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करना चाहिए और पुनः उपयोग करने योग्य थैलियों का उपयोग करना चाहिए। - प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का पुनर्चक्रण (recycling) भी एक अच्छा उपाय है।
 - 5. **पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता (Environmental Education and Awareness)****: - लोगों में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाना आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने से लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं।

6. ****खाद्य अपशिष्ट का निस्तारण (Disposal of Food Waste)**** - खाद्य अपशिष्ट को सही तरीके से निस्तारित करने के लिए हमें खाद्य अपशिष्ट को कम्पोस्ट (composting) करने की आदत डालनी चाहिए। इससे न केवल मृदा की उर्वरता बढ़ेगी, बल्कि इससे जैविक अपशिष्ट भी कम होगा।

7. ****स्वच्छता अभियान (Cleanliness Campaigns)**** - स्वच्छता भी पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कचरा न फैलाने, गंदगी से बचने और कचरे को सही तरीके से निस्तारित करने से वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहता है।

- इसके अलावा, कचरे का पुनर्चक्रण (recycling) भी आवश्यक है।

8. ****वन संरक्षण (Forest Conservation)**** - जंगलों की अंधाधुंध कटाई से न केवल वन्यजीवों की प्रजातियाँ समाप्त हो रही हैं, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन का भी कारण बन रहा है। वन संरक्षण के लिए हमें वृक्षारोपण अभियान, वन्यजीवों की सुरक्षा, और वनों की अतिक्रमण से रक्षा के उपायों को अपनाना चाहिए।

9. ****जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण (Control Climate Change)**** - जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करना चाहिए। इससे तापमान वृद्धि को कम किया जा सकता है। - सस्ती और सुलभ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, परिवहन के विकल्प (जैसे सार्वजनिक परिवहन), और औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण जैसे उपाय जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करेंगे।

10. ****सतत विकास (Sustainable Development)**** - सतत विकास का मतलब है कि हम अपने आज के विकास को इस तरह से बढ़ावा दें कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी न पैदा करे। हमें पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और उपभोग की आदतें अपनानी चाहिए। - स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हमें पर्यावरणीय नीतियों को लागू करने के साथ-साथ व्यापार, उद्योग, और कृषि क्षेत्रों में भी पर्यावरणीय नियमों को लागू करना होगा।

11. ****कार्बन फुटप्रिंट कम करना (Reducing Carbon Footprint)**** - प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपायों को अपनाना चाहिए। यह गैसोलीन, डीजल, और अन्य कार्बन उत्सर्जक ईंधन के उपयोग को कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने से संभव हो सकता है।

12. ****इको-फ्रेंडली उत्पादों का उपयोग (Use of Eco-Friendly Products)**** - पर्यावरण के लिए हानिकारक रासायनिक उत्पादों के स्थान पर इको-फ्रेंडली और जैविक उत्पादों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि जैविक खाद, इको-फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, और पुनः उपयोग किए जा सकने वाले वस्त्र।

13. ****प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (Conservation of Natural Resources)**** - प्राकृतिक संसाधनों, जैसे पानी, वन, खनिज, और जीव-जंतु, का अत्यधिक उपयोग न किया जाए। इनका विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में इन संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे।

निष्कर्ष: पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है, और इसे बचाने के लिए हर एक व्यक्ति, समुदाय, और सरकार को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। केवल सामूहिक प्रयासों से ही हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। हमें अपने व्यवहार में छोटे-छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा करने में योगदान देना चाहिए।

Chapter - 10

अंतर्राष्ट्रीय विधि: तीसरे विश्व का परिपेक्ष्य

****तीसरा विश्व: अर्थ और परिभाषा****तीसरा विश्व**** (Third World) एक ऐतिहासिक और राजनीतिक अवधारणा है, जिसका प्रयोग सबसे पहले 20वीं सदी में उस समूह के देशों के संदर्भ में किया गया, जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के बाद विकास की दिशा में संघर्ष कर रहे थे। यह अवधारणा उस समय के वैश्विक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है, जिसमें दुनिया दो प्रमुख शक्तियों में बंटी हुई थी - ****प्रथम विश्व**** (First World), जो मुख्य रूप से पश्चिमी देशों, जैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को शामिल करता था, और ****द्वितीय विश्व**** (Second World), जो सोवियत संघ और उसके सहयोगियों से जुड़ा था।

****तीसरे विश्व**** के देशों को आम तौर पर वे देश माना जाता था जो ****विकसित नहीं थे****, और जिन्हें ****विकासशील देशों**** के रूप में पहचाना जाता था। इन देशों की आर्थिक स्थिति सामान्यतः कमजोर होती थी, और वे सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे।

****तीसरे विश्व के देशों की विशेषताएँ****

1. ****औपनिवेशिक अतीत****: - अधिकांश तीसरे विश्व के देश ****औपनिवेशिक शासनों**** से मुक्त हुए थे, और इन देशों का अधिकांश समय औपनिवेशिक शासन के तहत था। इन देशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने विकास की दिशा निर्धारित करने का प्रयास किया।

2. ****विकासशील अर्थव्यवस्था****: - इन देशों की अर्थव्यवस्था सामान्यतः कृषि पर निर्भर होती है, और अधिकांश देशों में औद्योगिकीकरण की दर बहुत कम थी। यहां का मुख्य ध्यान अपनी आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को सुधारने पर था।

3. ****राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता****: - तीसरे विश्व के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों का सामना करना पड़ा। इन देशों में कई बार ****युद्ध****, ****सैन्य शासन****, और ****जातीय संघर्ष**** जैसे मुद्दे उभरे हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित हुआ।

4. ****संसाधनों की कमी****: - तीसरे विश्व के देशों में अक्सर प्राकृतिक संसाधनों की कमी या उनका उचित उपयोग नहीं किया गया है, जिससे उनका विकास रुक गया है।

5. ****समाज में विषमताएँ****:

- यहां की सामाजिक संरचनाएँ अक्सर असमान होती हैं, और अधिकांश देशों में ****गरीबी****, ****शिक्षा का अभाव****, और ****स्वास्थ्य सेवाओं की कमी**** जैसी समस्याएँ होती हैं।

****तीसरे विश्व का बदलता परिप्रेक्ष्य****: हालांकि तीसरे विश्व की परिभाषा आजकल धीरे-धीरे बदल रही है, लेकिन अभी भी इसे कुछ देशों द्वारा ****विकासशील देशों**** के रूप में पहचाना जाता है। कई तीसरे विश्व के देशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेज़ी से विकास किया है और अब वे ****उभरती अर्थव्यवस्थाएँ**** (Emerging Economies) या ****BRICS**** देशों जैसे देशों के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ****वैश्विक दक्षिण**** (Global South) शब्द का भी उपयोग इन देशों के संदर्भ में किया जाता है।

****सारांश****: तीसरा विश्व उन देशों का समूह था, जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर अपनी विकास की यात्रा शुरू कर रहे थे। आज यह अवधारणा अधिकांशतः विकासशील देशों के संदर्भ में उपयोग होती है, और इन देशों के सामने अभी भी कई सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक चुनौतियाँ हैं।

****अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय में तीसरे विश्व के दृष्टिकोण****

****तीसरा विश्व**** (Third World) मुख्यतः वे देश हैं जो विकासशील या पिछड़े हुए हैं और जिनकी मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ हैं। ये देश मुख्यतः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में स्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि (International Law) के संदर्भ में तीसरे विश्व के देशों का दृष्टिकोण उनके विकास, संप्रभुता, और न्याय के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अधिक केंद्रित है।

तीसरे विश्व के दृष्टिकोण के मुख्य पहलू:

1. ****विकास और न्याय का मुद्दा**** - तीसरे विश्व के देशों का मुख्य ध्यान ****विकास**** और ****न्याय**** पर होता है। यह देश चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि में उनका हित ध्यान में रखा जाए और उनके लिए विकास की समान और निष्पक्ष स्थितियाँ बनाई जाएं। उनका तर्क यह होता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि का अधिकांश हिस्सा विकसित देशों के हितों की रक्षा करता है और विकासशील देशों के मुद्दों को नजरअंदाज करता है। - इन देशों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि वह उनके सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा दे सके।

2. ****संप्रभुता और आत्मनिर्णय का अधिकार**** - तीसरे विश्व के देशों का यह मानना है कि उनका ****संप्रभुता**** (Sovereignty) और ****आत्मनिर्णय का अधिकार**** (Right to Self-determination) अंतरराष्ट्रीय विधि में अहम होना चाहिए। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशीकरण का सामना किया है और इसलिए वे चाहते हैं कि उनका आत्मनिर्णय का अधिकार पूरी तरह से सम्मानित किया जाए। - कई तीसरी दुनिया के देशों का यह विचार था कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के बाद भी अंतरराष्ट्रीय कानून में उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को पूरी तरह से नहीं माना जाता था। वे चाहते थे कि अंतरराष्ट्रीय समाज उन देशों के अधिकारों की रक्षा करे जो विदेशी हस्तक्षेप और संघर्षों से प्रभावित हैं।

3. ****समानता और निष्पक्षता (Equity and Fairness)**** - तीसरे विश्व के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय विधि में ****समानता**** और ****निष्पक्षता****। इन देशों का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय विधि की संरचना अक्सर एकतरफा होती है और यह आमतौर पर विकसित देशों के हितों को प्राथमिकता देती है। - इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिक ****न्यायपूर्ण और समान**** नीति की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि उनके विकास के लिए आवश्यक अवसर मिल सकें और उनका शोषण न हो।

4. ****पर्यावरण और संसाधनों पर नियंत्रण**** - तीसरे विश्व के देशों के लिए ****प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण**** एक अहम मुद्दा है। इन देशों का तर्क है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कई विकसित देशों का कब्जा है, और इसके कारण उनके विकास में रुकावटें आ रही हैं।- इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय विधि में इस बात की मांग की कि उनके संसाधनों का न्यायपूर्ण और समान वितरण किया जाए और उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो।

5. ****समान रूप से विकास के अवसर**** - तीसरे विश्व के देशों ने यह दावा किया है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के विकास और व्यापार में ****विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता**** है। वे चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जैसे कि ****विश्व व्यापार संगठन (WTO)****, के नियम विकासशील देशों के हितों का भी ध्यान रखें।

- इन्हें यह महसूस होता है कि अधिकतर व्यापार समझौते और अन्य अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ उनके लिए समान अवसर नहीं प्रदान करती हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित होता है।

6. ****संविधानिक अधिकार और मानवाधिकार**** - तीसरे विश्व के देशों ने ****मानवाधिकार**** (Human Rights) के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह मांग की कि वैश्विक स्तर पर उन देशों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

- हालांकि, कुछ तीसरे विश्व के देशों ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के दुरुपयोग का भी विरोध किया है, जब यह उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।

7. ****वैश्विक सुरक्षा और संघर्ष समाधान**** - तीसरे विश्व के देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ****वैश्विक सुरक्षा**** और ****संघर्ष समाधान**** है। इनमें से कई देशों को राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और वे चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनकी मदद करे। - इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र (UN), में सुधार की आवश्यकता महसूस की है ताकि विकासशील देशों को भी सुरक्षा, शांति और न्याय मिल सके।

8. ****उधार और कर्ज (Debt and Loan)****- तीसरे विश्व के देशों ने ****विकसित देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं**** से किए गए ****कर्ज**** और उधारी की समस्याओं को उठाया है। इन देशों का कहना है कि बड़े पैमाने

पर कर्ज ने उनकी विकासात्मक योजनाओं को बाधित किया है, और वे चाहते हैं कि इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय कानून उचित समाधान प्रदान करे। - कुछ देशों ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर आरोप लगाया कि वे उनकी आर्थिक नीति को प्रभावित कर रहे हैं और उन पर अत्यधिक कर्ज का बोझ डाल रहे हैं।

****निष्कर्ष**** तीसरे विश्व के देशों का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय विधि में समानता, न्याय, और विकास की ओर केंद्रित है। ये देश चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून में उनका हित अधिक ध्यान में रखा जाए, ताकि वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें और वैश्विक स्तर पर समान अवसर प्राप्त कर सकें। इनके दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि को पूरी दुनिया के देशों के लिए समावेशी और न्यायपूर्ण बनाना चाहिए, ताकि सभी देशों को समुचित और समान विकास की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिले।

Chapter 11

अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान : शांतिपूर्ण उपाय

****अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के विभिन्न उपायों का वर्णन****

अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान शांति और सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक शांति बनी रहे और देशों के बीच स्थायित्व स्थापित किया जा सके। शांति स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि और संगठन विभिन्न उपायों की सिफारिश करते हैं। इन उपायों का उद्देश्य युद्ध और संघर्ष से बचना, समझौतों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना, और मानवता की भलाई सुनिश्चित करना है।

नीचे अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के कुछ प्रमुख उपायों का विवरण दिया गया है:

1. ****राजनैतिक संवाद (Diplomatic Negotiation)**** - ****राजनैतिक संवाद**** एक महत्वपूर्ण उपाय है, जो विवादों को शांति और समझौते के माध्यम से हल करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि आपस में बातचीत करते हैं और समझौतों की दिशा में काम करते हैं। यह विवादों के समाधान के लिए सबसे सामान्य तरीका है। - उदाहरण: कश्मीर विवाद, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार संवादों के प्रयास किए गए हैं।

2. ****मध्यस्थता (Mediation)**** - ****मध्यस्थता**** में किसी तटस्थ तीसरे पक्ष (जैसे, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन या एक शक्तिशाली राष्ट्र) का सहयोग लिया जाता है। यह तीसरा पक्ष दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करता है और उनका मार्गदर्शन करके उन्हें समाधान तक पहुँचने की कोशिश करता है।- उदाहरण: ****कैंप डेविड समझौता**** (1978), जिसमें अमेरिका ने इस्राइल और मिस्र के बीच मध्यस्थता की थी।

3. ****सुलह और समझौते (Conciliation and Arbitration)**** - ****सुलह (Conciliation)**** में दोनों पक्षों के विवादों को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञों का एक पैनल मदद करता है, जबकि ****मध्यस्थता**** में विवादों को हल करने के लिए पक्षों की सहमति पर आधारित विधि का प्रयोग किया जाता है। - ****सुलह**** के बाद भी यदि विवाद समाधान नहीं हो पाता तो ****सुलह आयोग**** इसे ****मध्यस्थता**** में बदल सकता है, जहां एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान निकाला जाता है।- उदाहरण: ****पेरिस समझौता (1899)**** जहां कई देशों ने एक साथ मिलकर विवादों के सुलह के उपायों की योजना बनाई थी।

4. ****सर्वसम्मति से निर्णय (Consensus Decision-Making)**** - सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी पक्षों को समान रूप से शामिल किया जाता है। सभी पक्षों को एक दूसरे के दृष्टिकोणों का सम्मान करते हुए निर्णय तक पहुँचने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी होती है। - उदाहरण: ****संयुक्त राष्ट्र महासभा**** में देशों के बीच शांति से निर्णय लिए जाते हैं और वहां सर्वसम्मति से मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

5. **संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का हस्तक्षेप** - संयुक्त राष्ट्र (UN) एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच विवादों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति बनाए रखने के लिए शांति रक्षा बल भेजने, मध्यस्थता करने और देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

- उदाहरण: **संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन** जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेजे जाते हैं ताकि संघर्ष को रोकने और शांति स्थापित करने में मदद की जा सके।

6. **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) का प्रयोग** - अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** का प्रयोग किया जाता है। ICJ संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, जो देशों के बीच कानूनी विवादों का निवारण करता है। यह अदालत कानूनी निर्णय देती है, जिसे देशों को मानना पड़ता है। - उदाहरण: **हाग न्यायालय** द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं।

7. **आर्थिक दबाव (Economic Sanctions)** - यदि कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है या शांति स्थापित करने में विफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय उस पर **आर्थिक प्रतिबंध** (sanctions) लगा सकता है। यह एक प्रकार का दबाव है जो देश को अपने आंतरिक विवादों को सुलझाने के लिए प्रेरित करता है। - उदाहरण: **ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध** जिन्हें हटाने के लिए ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते में भाग लिया था।

8. **अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते (International Conferences and Treaties)** - देशों के बीच समस्याओं का समाधान **अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन** या **समझौतों** के द्वारा भी किया जाता है, जहां देशों के प्रतिनिधि एक स्थान पर मिलकर एक-दूसरे के दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं और एक साझा समाधान पर पहुँचते हैं। इन समझौतों में विश्व युद्धों के बाद बनने वाले शांति समझौते, पर्यावरण समझौते, और व्यापारिक समझौते शामिल होते हैं। - उदाहरण: **पेरिस जलवायु समझौता** (2015), जिसमें विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समझौता किया।

9. **संस्कार और सांस्कृतिक समन्वय (Cultural Diplomacy)** - **संस्कार और सांस्कृतिक समन्वय** का उपाय उन देशों के बीच समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है जो किसी अन्य विवाद से जूझ रहे हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग से देशों के बीच विश्वास और शांति स्थापित होती है। - उदाहरण: **संस्कृतिक संवाद** कार्यक्रम जैसे संयुक्त राष्ट्र का **संस्कृतिक विविधता सम्मेलन**।

निष्कर्ष: अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता होती है। ये उपाय केवल संघर्षों से बचने में मदद नहीं करते, बल्कि देशों के बीच दीर्घकालिक शांति और सहयोग स्थापित करने का भी कार्य करते हैं। प्रत्येक देश को समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा बनी रहे।

Chapter - 12

अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान: बाध्यकारी उपाय

अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के बाध्यकारी तरीकों का वर्णन अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए कई **बाध्यकारी** (binding) तरीकों का उपयोग किया जाता है। इन तरीकों का उद्देश्य विवादों को कानूनी तरीके से हल करना और दोनों पक्षों पर लागू निर्णयों को प्रभावी बनाना होता है, ताकि वे समाधान की प्रक्रिया को स्वीकार करें। इन तरीकों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनमें से जो भी निर्णय लिया जाता है, वह देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और उसका पालन करना अनिवार्य होता है।

निम्नलिखित हैं **अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के बाध्यकारी तरीकों**:

1. ****अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ)****

- ****अंतरराष्ट्रीय न्यायालय**** (ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और इसका मुख्य कार्य देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करना है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से विवादों के समाधान के लिए ICJ में मामला दायर करता है, तो अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को दोनों पक्षों को मानना होता है, और यह निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। - ICJ विवादों को कानूनी दृष्टिकोण से हल करने के लिए ब्रीफिंग, सुने गए तर्कों, और कानूनी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है। इसके निर्णयों का पालन करना दोनों देशों के लिए अनिवार्य होता है। - ****उदाहरण****: ****भारत और पाकिस्तान**** के बीच ****कुलभूषण जाधव**** केस में ICJ ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह जाधव की मौत की सजा को रोकें, और पाकिस्तान ने ICJ के आदेश का पालन किया।

2. ****संवैधानिक समाधान और संधियों का पालन (Treaties and Conventions)**** - अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए ****संधियों (Treaties)**** और ****संवैधानिक समझौतों (Conventions)**** का प्रयोग किया जाता है। जब दो या अधिक देशों के बीच कोई संधि होती है, तो वह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है और उसे लागू किया जाता है। - संधियाँ देशों के बीच विवादों के समाधान के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करती हैं। इन संधियों का उल्लंघन करने पर देशों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कदम उठाए जा सकते हैं। - ****उदाहरण****: ****न्यूक्लियर अप्रसार संधि (NPT)****, जहां देशों को अपने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का कानूनी दायित्व है।

3. ****विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता (Arbitration)**** - ****मध्यस्थता**** (Arbitration) एक अन्य बाध्यकारी तरीका है, जिसमें दोनों पक्ष एक तटस्थ व्यक्ति या संगठन से सहायता प्राप्त करते हैं, जो विवाद को हल करने के लिए निर्णय करता है। यह निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, और दोनों पक्षों को इसे लागू करना होता है।

- मध्यस्थता में एक नियुक्त मध्यस्थ या एक पैनल दोनों पक्षों से विचार और साक्ष्य सुनता है और फिर एक न्यायिक निर्णय प्रदान करता है। - ****उदाहरण****: ****नैदरलैंड्स और वेरिग्ट्स**** के बीच ****फ्रांसीसी औपनिवेशिक संघर्ष**** में मध्यस्थता का इस्तेमाल किया गया।

4. ****संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council)****

- ****संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)****, एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जब कोई विवाद किसी देश के खिलाफ सुरक्षा परिषद में पेश किया जाता है, तो परिषद के निर्णय को सभी सदस्य देशों के लिए पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें सैन्य कार्रवाई, आर्थिक प्रतिबंध या अन्य उपायों की सिफारिश की जा सकती है। - यदि सुरक्षा परिषद किसी विवाद में हस्तक्षेप करती है, तो उसके आदेशों को प्रभावी बनाना और लागू करना देशों के लिए बाध्यकारी होता है। - ****उदाहरण****: ****इराक पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध**** और ****कोरिया युद्ध के बाद**** सुरक्षा परिषद के आदेश।

5. ****वित्तीय संस्थाओं के निर्णय (Decisions of Financial Institutions)**** - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जैसे कि ****विश्व बैंक**** और ****अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)****, देशों के बीच विवादों के समाधान के लिए निर्णय ले सकती हैं। ये संस्थाएँ देशों को कर्ज प्रदान करने, आर्थिक सुधारों की सिफारिश करने और उनके आर्थिक संकटों को हल करने के लिए बाध्यकारी निर्णय करती हैं। - इन संस्थाओं के निर्णयों को लागू करना देशों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, और इन निर्णयों का पालन न करने पर देशों को वित्तीय संकट या अन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। - ****उदाहरण****: ****IMF के द्वारा देशों को आर्थिक सुधारों के लिए दी गई शर्तें****, जो देशों के लिए बाध्यकारी होती हैं।

6. ****संधि उल्लंघन की जाँच और कानूनी कार्रवाई (Breach of Treaties and Legal Action)**** - अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करता है, तो इसका कानूनी समाधान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किया जा सकता है, और उसे ****संदिग्ध संधि उल्लंघन**** के मामले में कानूनी रूप से बाध्यकारी सजा या कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। - ****उदाहरण****: ****द्वितीय विश्व युद्ध के बाद**** नाज़ी जर्मनी के युद्ध अपराधों को लेकर किए गए न्यायिक निर्णयों के तहत जर्मनी पर कानूनी कार्रवाई की गई।

7. ****अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अदालत (International Human Rights Court)****- कुछ विशेष मुद्दों, जैसे ****मानवाधिकार**** उल्लंघन के मामलों में, ****अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अदालतें**** (जैसे यूरोपीय मानवाधिकार अदालत) या ****अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC)**** में दी जाने वाली सजा और निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। यह अदालतें मानवाधिकार उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करती हैं और इसके फैसले देशों के लिए लागू होते हैं। - ****उदाहरण****: ****अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC)**** ने ****सूडान**** के पूर्व राष्ट्रपति ओमर अल-बशीर के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में निर्णय लिया था। निष्कर्ष: अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए ****बाध्यकारी तरीकों**** का प्रयोग मुख्य रूप से ****अंतरराष्ट्रीय न्यायालय****, ****मध्यस्थता****, ****संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद****, ****वित्तीय संस्थाएँ****, और ****अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अदालतें**** जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन तरीकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि देशों के बीच विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से निष्पक्ष तरीके से किया जाए, और निर्णयों का पालन किया जाए। इन उपायों के द्वारा वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है। ****संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 7 में दिए गए विवादों के हल करने के बाध्यकारी समाधान**** ****संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) के चार्टर के अध्याय 7 में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा chapter 7 का उद्देश्य और विशेषताएँ chapter 7, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद को यह अधिकार देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय विवादों और संघर्षों को हल करने के लिए वैधानिक कदम उठा सके। इसमें वह कदम भी शामिल हैं, जिनका पालन करना देशों के लिए बाध्यकारी होता है। chapter 7 के तहत दिए गए विवादों के समाधान के बाध्यकारी उपाय****

1. ****संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्रवाई (Action by the Security Council)**** - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ****chapter 7**** के तहत ****संयुक्त राष्ट्र चार्टर**** में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए देशों के बीच विवादों का समाधान करने का अधिकार है। यह परिषद विभिन्न कदमों को लागू कर सकती है, जैसे ****आर्थिक प्रतिबंध****, ****सैन्य बलों का उपयोग****, और ****संविधानिक/कानूनी दायित्व**** लागू करना। - सुरक्षा परिषद का निर्णय ****कानूनी रूप से बाध्यकारी**** होता है, और इसके फैसले का पालन करना सभी सदस्य देशों के लिए अनिवार्य होता है।

2. ****संघर्ष या युद्ध की स्थिति में सैन्य उपाय (Military Measures in Case of Conflict or War)**** - जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, तो सुरक्षा परिषद के पास ****सैन्य उपायों**** को लागू करने का अधिकार है। यदि शांति बहाल करने के लिए अन्य उपाय सफल नहीं होते हैं, तो सुरक्षा परिषद सैन्य बलों का उपयोग करने का आदेश दे सकती है। - ****उदाहरण****: ****1990-91 में खाड़ी युद्ध**** के दौरान, सुरक्षा परिषद ने इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए एक व्यापक सैन्य गठबंधन का आदेश दिया था, जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था।

3. ****आर्थिक प्रतिबंध (Economic Sanctions)**** - ****आर्थिक प्रतिबंध**** को लागू करने का उपाय भी ****अध्याय 7**** में शामिल किया गया है। जब किसी राज्य द्वारा किसी दूसरे देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की जाती है या अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो सुरक्षा परिषद ****आर्थिक प्रतिबंध**** लागू कर सकती है। ये प्रतिबंध व्यापार, वित्तीय लेन-देन, यात्रा आदि पर प्रभाव डालते हैं।- ****उदाहरण****: ****उत्तर कोरिया**** के खिलाफ परमाणु परीक्षणों और मिसाइल प्रक्षेपणों के कारण सुरक्षा परिषद ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे।

4. **संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बल (UN Peacekeeping Forces)** - **संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बल** (Peacekeeping Forces) को भी सुरक्षा परिषद द्वारा विवादों के समाधान के लिए तैनात किया जा सकता है। इन बलों को तटस्थ स्थिति में रखा जाता है और उनका उद्देश्य विवादित क्षेत्रों में शांति बनाए रखना होता है। - यह बल विवादों के समाधान के लिए एक **शांतिपूर्ण तरीका** प्रदान करता है, जहां सुरक्षा परिषद के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। - **उदाहरण**: **कांगो** और **कोसोवो** में शांति रक्षा मिशन तैनात किए गए थे, जहाँ सुरक्षा परिषद ने शांति बनाए रखने के लिए सैन्य ताकत का उपयोग किया था।

5. **संयम की मांग (Demand for Restraint)** - यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि कोई विवाद बढ़ सकता है, तो वह दोनों पक्षों से संयम बरतने और युद्ध की स्थिति से बचने की अपील करती है। यह **अंतरराष्ट्रीय दबाव** के रूप में कार्य करता है और यह दोनों देशों पर **बाध्यकारी** होता है। - इसके लिए, सुरक्षा परिषद **समझौते** या **कूटनीतिक उपायों** का प्रस्ताव कर सकती है ताकि देशों के बीच विवाद कम हो और युद्ध का खतरा टल सके।

Chapter- 13

स्थल युद्ध के नियम

स्थल युद्ध से संबंधित नियमों की व्याख्या

स्थल युद्ध (Land Warfare) वह युद्ध होता है जो भूमि पर लड़ा जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक देशों के सैन्य बल एक-दूसरे से युद्ध करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत तय किए गए हैं ताकि युद्ध में मानवीयता बनाए रखी जा सके और नागरिकों तथा सैन्य बलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह नियम मुख्यतः **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून** और **अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL)** के तहत आते हैं।

स्थल युद्ध से संबंधित प्रमुख नियमों की व्याख्या निम्नलिखित है:

1. **युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा (Protection of Civilians)**

- **नागरिकों** और **असैनिक लक्ष्यों** को युद्ध के दौरान सुरक्षा दी जाती है। यह निर्धारित किया गया है कि सैन्य संघर्ष केवल सैन्य बलों और सैन्य ठिकानों पर होना चाहिए, न कि नागरिकों या उनके निजी संपत्तियों पर। **जेनेवा संधि** और **हैग सम्मेलन** में यह स्पष्ट किया गया है कि युद्ध के दौरान नागरिकों को जानबूझकर लक्षित करना या उनके संपत्ति को नष्ट करना युद्ध अपराध माना जाएगा।

2. **युद्ध के नियमों का पालन (Principle of Distinction)** - युद्ध के दौरान **सैन्य और असैनिक लक्ष्यों** में अंतर किया जाना चाहिए। सैन्य संघर्ष केवल शत्रु सैनिकों, सैन्य ठिकानों, हथियारों, और आपूर्ति लाइनों पर होना चाहिए। नागरिकों और उनके संपत्तियों को शत्रु के हमलों से बचाया जाना चाहिए। - **निषिद्ध लक्ष्य**: जैसे अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल, और नागरिक सुविधाएँ, जो युद्ध के दौरान हमले से बाहर रखी जानी चाहिए।

3. **अत्यधिक शक्ति का प्रयोग नहीं (Principle of Proportionality)** - **प्रोपोर्शनलिटी सिद्धांत** (Proportionality) के अनुसार, युद्ध में कोई भी शक्ति का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि शत्रु पर जवाबी हमला करते समय नुकसान या नुकसान की सीमा को **संतुलित** रखा जाना चाहिए। - यदि जवाबी कार्रवाई में अधिक शारीरिक या पर्यावरणीय नुकसान होता है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

4. **युद्धबंदी की सुरक्षा (Protection of Prisoners of War - POWs)** - युद्ध के दौरान **युद्धबंदियों** (Prisoners of War) की सुरक्षा के बारे में विशेष नियम हैं। युद्धबंदी को शारीरिक या

मानसिक उत्पीड़न से बचाना चाहिए और उन्हें उचित भोजन, चिकित्सा देखभाल और रहने की जगह प्रदान की जाती है।

- **जेनेवा संधि** के तहत युद्धबंदियों को मनुष्य के समान सम्मान और सुरक्षा का अधिकार होता है। उन्हें अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से बचाया जाना चाहिए।

5. **रासायनिक और जैविक हथियारों का निषेध (Prohibition of Chemical and Biological Weapons)** - **रासायनिक और जैविक हथियारों** का प्रयोग **स्थल युद्ध** में पूरी तरह से निषिद्ध है। इन हथियारों का उपयोग न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए अवैध है, बल्कि ये **मानवता के खिलाफ अपराध** भी माने जाते हैं। - **जेनेवा प्रोटोकॉल** और अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियाँ इन हथियारों के प्रयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाती हैं।

6. **मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law - IHL) का पालन** - **अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून** (IHL) वह कानूनी फ्रेमवर्क है, जो युद्ध के दौरान **मानवीयता** की रक्षा करता है। IHL यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध में केवल सैन्य उद्देश्यों को साधने के लिए कार्रवाई की जाए और नागरिकों और उनकी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचे।- इसका उद्देश्य **घायल सैनिकों**, **बंदियों**, **सामान्य नागरिकों**, और **पर्यावरण** की रक्षा करना है।

7. **स्थल युद्ध में हमलावरों का उचित उपयोग (Proper Use of Military Force)**- युद्ध में सैन्य बलों का उपयोग **न्यायसंगत** (Just) होना चाहिए, जिससे अत्यधिक क्रूरता या अनावश्यक विनाश से बचा जा सके। युद्ध के दौरान सैन्य बलों द्वारा अत्यधिक या असंवेदनशील हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए, ताकि युद्ध के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। **लैंडमाइंस** और अन्य हानिकारक उपकरणों का उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्य से किया जाना चाहिए और इनका डिजाइन और उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि युद्ध के बाद किसी को नुकसान न हो।

8. **चिकित्सा और मानवीय सहायता (Medical and Humanitarian Assistance)** - युद्ध के दौरान **चिकित्सा सहायता** और **मानवीय राहत** प्राप्त करने का अधिकार सभी घायल सैनिकों और नागरिकों को है। **चिकित्सा कर्मियों** और **राहत संगठनों** को **संरक्षित** किया जाता है, ताकि वे युद्ध क्षेत्र में अपने कार्यों को निर्बाध रूप से कर सकें। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता भेजी जाती है, और इसका उल्लंघन युद्ध अपराध माना जाता है।

9. **पर्यावरण की रक्षा (Protection of the Environment)** - युद्ध के दौरान **पर्यावरण** का नुकसान नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि युद्ध के दौरान पर्यावरणीय नुकसान को सीमित रखा जाए और प्राकृतिक संसाधनों को अनावश्यक रूप से नष्ट न किया जाए।- **हैग** और **जेनेवा संधियाँ** युद्ध के दौरान पर्यावरणीय विनाश को रोकने के उपायों पर बल देती हैं।

निष्कर्ष: स्थल युद्ध के दौरान **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानून** के तहत कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य युद्ध के दौरान मानवीयता बनाए रखना और शांति को बढ़ावा देना है। इन नियमों का पालन करना यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाकर लड़ा जाए, और नागरिकों तथा अन्य असैन्य लोगों की सुरक्षा की जाए।

बाध्यकता राज्य के अधिकार (Binding Rights of a State)

बाध्यकता (Binding) का अर्थ है किसी राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संधियों या अनुबंधों में निर्धारित शर्तों को स्वीकार करना और उनका पालन करना। जब एक राज्य किसी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करता है

और उसे स्वीकार करता है, तो वह उस संधि की शर्तों के लिए ****बाध्य**** हो जाता है, यानी उसे कानूनी रूप से उन शर्तों का पालन करना होता है। बाध्यकता राज्य के अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों में भाग लेते हुए, अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाए। यह राज्य के अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के पालन में सहायक होता है।

बाध्यकता राज्य के अधिकार:

1. ****संविधान और अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन (Compliance with Constitution and International Agreements)****: - जब एक राज्य किसी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करता है, तो वह उस संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों के पालन के लिए बाध्य होता है। उदाहरण के तौर पर, ****जेनेवा कन्वेंशन**** या ****पेरिस जलवायु समझौता**** पर हस्ताक्षर करने के बाद, राज्य को उन समझौतों की शर्तों का पालन करना होता है।

2. ****राज्य की संप्रभुता का सम्मान (Respect for Sovereignty)****:

- किसी राज्य को अपनी ****संप्रभुता**** का अधिकार प्राप्त होता है, यानी वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके तहत, राज्य को अपनी सीमा, संसाधन और सरकार के प्रबंधन का अधिकार होता है, लेकिन यदि राज्य ने किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो उसे उन शर्तों का पालन करना होता है।

3. ****सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता (Security and Territorial Integrity)****:

- एक राज्य को अपनी ****क्षेत्रीय अखंडता**** की रक्षा करने का अधिकार होता है। अगर किसी दूसरे राज्य ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया, तो वह सैन्य कार्रवाई कर सकता है, बशर्ते कि यह उचित और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हो। साथ ही, उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत सहायता भी मिल सकती है।

4. ****मानवाधिकार का संरक्षण (Protection of Human Rights)****:

- जब एक राज्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों को मान्यता देता है, तो उसे उन अधिकारों की रक्षा करनी होती है। उदाहरण के लिए, ****संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र**** और ****जेनेवा संधि**** के तहत, राज्य को अपने नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा देनी होती है और उनका उल्लंघन नहीं करना होता।

5. ****विवादों का शांतिपूर्ण समाधान (Peaceful Settlement of Disputes)****:- राज्य को यह अधिकार होता है कि वह ****अंतरराष्ट्रीय न्यायालय**** या ****संयुक्त राष्ट्र**** जैसे मंचों के माध्यम से अपने विवादों का ****शांतिपूर्ण समाधान**** प्राप्त करे। इसके अंतर्गत विवादों को बातचीत, मध्यस्थता या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत हल किया जा सकता है।

6. ****व्यापार और आर्थिक सहयोग (Trade and Economic Cooperation)****: - जब राज्य ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार संधियों में भाग लिया है, तो उसे वैश्विक व्यापार की शर्तों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए, ****विश्व व्यापार संगठन (WTO)**** में सदस्य देशों को आर्थिक और व्यापारिक नीतियों का पालन करना पड़ता है।

7. ****प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग (Use of Natural Resources)****:- एक राज्य को अपनी ****प्राकृतिक संपत्ति**** और ****संसाधनों**** का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार होता है, लेकिन अगर यह संसाधन वैश्विक पर्यावरण या दूसरे देशों के हितों को प्रभावित करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझौतों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे, ****जलवायु परिवर्तन समझौते**** के तहत देशों को प्रदूषण कम करने के लिए बाध्य किया जाता है।

निष्कर्ष:बाध्यकता राज्य के अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि एक राज्य अपने अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों और दायित्वों को निभाए। इस प्रक्रिया के तहत, एक राज्य को ****वैश्विक नियमों, संधियों और समझौतों का पालन**

करना होता है**, जो न केवल उसकी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी योगदान देते हैं।

Chapter-14

हवाई युद्ध के नियम

****वायु युद्ध से संबंधित विभिन्न मौलिक सिद्धांतों की विवेचना****

वायु युद्ध (Aerial Warfare) वह युद्ध होता है जो विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य वायुपथ उपकरणों के द्वारा लड़ा जाता है। वायु युद्ध की प्रकृति ने समय के साथ युद्ध के तरीके और रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया है। वायु युद्ध से संबंधित विभिन्न ****मौलिक सिद्धांतों**** का उद्देश्य युद्ध के दौरान मानवीयता बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंधों का पालन करना है।

वायु युद्ध से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. ****भेदभाव का सिद्धांत (Principle of Distinction)****

वायु युद्ध में यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सैन्य हमले केवल ****सैन्य लक्ष्यों**** (जैसे सैन्य ठिकाने, हथियारों के गोदाम, सैन्य वाहन) पर केंद्रित हों, न कि असैन्य लक्ष्यों (जैसे नागरिक बस्तियाँ, अस्पताल, स्कूल)। इस सिद्धांत के अनुसार, ****वायु हमलों**** के दौरान, वायु सेना को केवल शत्रु के सैन्य ठिकानों या सशस्त्र बलों पर हमला करना चाहिए। नागरिकों या असैन्य संरचनाओं को जानबूझकर लक्षित करना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और युद्ध अपराध माना जाता है।

2. ****आवश्यकता का सिद्धांत (Principle of Necessity)**** यह सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य कार्रवाई को केवल ****सैन्य उद्देश्य**** को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए और इसे ****अनावश्यक नुकसान**** से बचने के लिए सीमित किया जाना चाहिए। वायु युद्ध में, यदि कोई हमला ****सैन्य उद्देश्य**** से संबद्ध नहीं है या अगर वह लक्षित क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, तो वह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, नागरिक क्षेत्रों पर अकारण हमले करना अनैतिक और गैरकानूनी है।

3. ****प्रत्युत्तरात्मकता का सिद्धांत (Principle of Proportionality)**** यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध के दौरान किसी भी कार्रवाई का ****प्रभाव**** किसी अन्य सैन्य कार्रवाई के ****लक्ष्य**** के मुकाबले संतुलित

और उचित होना चाहिए। वायु युद्ध में यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हमले का पैमाना और **क्षति** किसी आवश्यक सैन्य लाभ से **सामंजस्यपूर्ण** होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक हमले के दौरान नागरिकों या पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, तो यह प्रतिक्रिया **अत्यधिक** मानी जा सकती है और इसे उचित नहीं माना जाएगा।

4. **अत्यधिक क्षति से बचने का सिद्धांत (Principle of Avoidance of Unnecessary Suffering)** इस सिद्धांत के अनुसार, वायु युद्ध में हमलों के दौरान **अत्यधिक पीड़ा** या **अवश्यक कष्ट** को बचाने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। - इसका अर्थ है कि सैन्य बलों को केवल उन हथियारों का प्रयोग करना चाहिए जो युद्ध के **कानूनी और मानवतावादी** उद्देश्यों के अनुरूप हों। यह सिद्धांत वायु युद्ध में रासायनिक, जैविक या अन्य खतरनाक हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने के रूप में देखा जाता है।

5. **पर्यावरणीय सुरक्षा का सिद्धांत (Principle of Environmental Protection)** वायु युद्ध में, युद्ध के दौरान **पर्यावरण** के नुकसान से बचने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि वायु हमलों के दौरान **प्राकृतिक संसाधनों** या **पर्यावरण** को अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जंगलों, जल स्रोतों, और कृषि क्षेत्रों पर बमबारी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों में यह प्रावधान है कि युद्ध के दौरान पर्यावरणीय विनाश को कम से कम रखा जाए।

6. **युद्धबंदियों का संरक्षण (Protection of Prisoners of War)** वायु युद्ध के दौरान, युद्धबंदी (POWs) को सुरक्षा और सम्मान दिया जाता है। यदि किसी राज्य के सैन्य विमान को शत्रु द्वारा मार गिराया जाता है और उसके सदस्य युद्धबंदी बन जाते हैं, तो उन्हें **जेनेवा संधि** के तहत विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। युद्धबंदियों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से बचाना और उन्हें उचित भोजन, चिकित्सा देखभाल और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है।

7. **रासायनिक और जैविक हथियारों का निषेध (Prohibition of Chemical and Biological Weapons)** वायु युद्ध के दौरान, रासायनिक और जैविक हथियारों का उपयोग **कड़े प्रतिबंधों** के तहत होता है। **जेनेवा प्रोटोकॉल** और **रासायनिक हथियार निषेध संधि** के तहत, युद्ध के दौरान रासायनिक और जैविक हथियारों का उपयोग पूरी तरह से निषिद्ध है। इन हथियारों से न केवल सैन्य बलों को बल्कि नागरिकों को भी अत्यधिक खतरा होता है, और इनका उपयोग मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है।

8. **कूटनीतिक और सैन्य अनुशासन (Diplomatic and Military Discipline)** वायु युद्ध के दौरान, सैन्य कार्रवाई केवल **कानूनी और कूटनीतिक रूप** से निर्धारित नीति और अनुशासन के तहत की जानी चाहिए। - इस सिद्धांत के तहत, युद्ध के संचालन को अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों के अनुरूप होना चाहिए, और सैन्य बलों द्वारा किए गए हमले या गतिविधियाँ न्यायिक रूप से परीक्षण के अधीन होती हैं।

निष्कर्ष: वायु युद्ध के दौरान यह सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि मानवीयता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न हो। सैन्य बलों को सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित रखना, पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम रखना, और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है। इन सिद्धांतों का पालन करने से वायु युद्ध में आवश्यक सैन्य उद्देश्य प्राप्त होते हुए भी नागरिकों और अन्य असैन्य व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है।

Chapter-15

सामुद्रिक युद्ध विधि

समुद्री युद्ध (Sea Warfare) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून (International Maritime Law) के तहत आते हैं, जिनका उद्देश्य समुद्रों में शांति, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। समुद्री युद्ध और युद्ध संबंधी गतिविधियाँ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नियमों और कानूनों के अनुसार नियंत्रित होती हैं।

समुद्री युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पालन करने का उद्देश्य युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ अत्याचारों को रोकना, सैन्य और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना और समुद्री क्षेत्र में अनावश्यक नुकसान से बचना है।

1. ****जीनिवा समझौते (Geneva Conventions)**** जीनिवा समझौते समुद्री युद्ध के दौरान मानवाधिकारों और युद्धबंदी के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह समझौते समुद्री युद्ध के दौरान घायल सैनिकों, युद्धबंदियों, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे।

2. ****हैग समझौते (Hague Conventions)**** हैग समझौते समुद्री युद्ध और युद्ध के समय किए जाने वाले विभिन्न कृत्यों के नियमों को तय करते हैं, जैसे युद्ध के दौरान समुद्री जहाजों पर हमला करना, समुद्र में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल, और अन्य सैन्य क्रियाएँ।

3. ****समुद्र पर अधिकार (Law of the Sea)**** 1982 में हुए "संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन" (UNCLOS) के तहत समुद्रों का उपयोग और अधिकार तय किए गए हैं। इसमें यह तय किया गया है कि किन क्षेत्रों में देशों को अधिकार है और कौन सी गतिविधियाँ युद्ध के दौरान स्वीकार्य हैं। यह सम्मेलन समुद्र में युद्ध की परिस्थितियों में भी दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

4. ****स्वतंत्रता और सुरक्षा का सिद्धांत**** समुद्री युद्ध के दौरान, युद्धरत देशों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे समुद्र में अवैध गतिविधियाँ नहीं करें। उदाहरण के लिए, समुद्री व्यापारिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करना या व्यापारी जहाजों पर हमला करना अनुशासनहीनता माना जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध माना जाता है।

5. ****समुद्र में जहाजों का सुरक्षित पारगमन (Safe Passage of Ships)**** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि युद्ध के दौरान भी व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्गों से गुजरने की स्वतंत्रता हो। यह स्वतंत्रता संविदानिक सिद्धांतों के तहत निर्धारित की जाती है, और इसे रोकने की कोशिश युद्ध अपराध मानी जाती है।

6. ****समुद्री खनिजों और संसाधनों का संरक्षण**** युद्ध के दौरान समुद्र के संसाधनों का शोषण या उन्हें नष्ट करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित होता है। इन संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन और संरक्षण जरूरी होता है।

समुद्री युद्ध में इन सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना युद्धरत देशों के लिए आवश्यक होता है, ताकि युद्ध की स्थिति में भी मानवीय अधिकारों की रक्षा की जा सके और समुद्र की पारिस्थितिकी और संसाधनों को नुकसान न पहुंचे। समुद्री युद्ध की विधियाँ (Methods of Naval Warfare) युद्ध की एक विशिष्ट श्रेणी हैं, जिसमें समुद्र में स्थित सेना द्वारा विभिन्न रणनीतिक, सामरिक और तकनीकी उपायों के जरिए लड़ाई लड़ी जाती है। समुद्री युद्ध में मुख्य रूप से युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों, मिसाइलों और अन्य सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री युद्ध की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. ****समुद्री ब्लॉकेड (Naval Blockade)**** समुद्री ब्लॉकेड का उद्देश्य दुश्मन के समुद्री मार्गों को अवरुद्ध करना है, ताकि वे जरूरी आपूर्ति, जैसे कि खाद्य, हथियार और अन्य वस्तुओं का परिवहन नहीं कर सकें। यह युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, खासकर जब शत्रु के पास समुद्र के जरिए आपूर्ति आने वाली हो। ब्लॉकेड दुश्मन की अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता को कमजोर करने का एक तरीका है।

2. ****सतही युद्ध (Surface Warfare)**** सतही युद्ध का तात्पर्य है युद्धपोतों का उपयोग करके दुश्मन के युद्धपोतों और अन्य सतही जहाजों पर हमला करना। इसमें विध्वंसक (Destroyers), क्रूजर (Cruisers), एयरक्राफ्ट कैरियर्स (Aircraft Carriers), और अन्य युद्धपोत शामिल होते हैं। इन जहाजों का मुख्य उद्देश्य समुद्र में दुश्मन के जहाजों को नष्ट करना या उनका निष्क्रिय करना होता है।

3. ****पनडुब्बी युद्ध (Submarine Warfare)**** पनडुब्बियों का उपयोग समुद्र में गहरे पानी में दुश्मन के जहाजों और समुद्री व्यापारिक मार्गों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। पनडुब्बियाँ दुश्मन की सतह से छुपकर हमला करने में सक्षम होती हैं और इसलिए इन्हें समुद्र युद्ध में एक प्रमुख और खतरनाक हथियार माना जाता है। पनडुब्बियाँ मिसाइलों, टॉरपीडो और अन्य हथियारों का उपयोग करती हैं।

4. ****एयर स्ट्राइक (Air Strikes)**** समुद्र में युद्ध करते समय विमान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर आधारित विमान दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों, और तट के ठिकानों पर हमले करते हैं। विमान का उपयोग खासकर सतह युद्ध और आपूर्ति मार्गों को नष्ट करने के लिए किया जाता है।

5. ****मिसाइल युद्ध (Missile Warfare)**** समुद्र में युद्ध के दौरान मिसाइलों का इस्तेमाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि बन चुका है। शत्रु के जहाजों या ठिकानों को नष्ट करने के लिए जहाज से जहाज (Ship-to-Ship), जहाज से वायु (Ship-to-Air), और पनडुब्बी से सतह (Submarine-to-Surface) मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। मिसाइलों की उच्च सटीकता और त्वरित गति के कारण यह विधि अत्यंत प्रभावी मानी जाती है।

6. ****साइबर युद्ध (Cyber Warfare)**** आधुनिक युग में, समुद्री युद्ध में साइबर युद्ध भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें दुश्मन के संचार और नेविगेशन प्रणालियों को हैक कर उन्हें निष्क्रिय करना या उनका संचालन बाधित करना शामिल है। यह विधि विशेष रूप से समुद्र के पारदर्शी युद्ध संचालन में महत्वपूर्ण है, जहां संचार और डेटा आदान-प्रदान का प्रभाव हो सकता है।

7. ****साधारण युद्ध (Guerilla Warfare)**** समुद्र में, विशेष रूप से छोटे युद्धपोतों, नौसैनिक गश्ती जहाजों या विशेष अभियानों के तहत, गेरिला युद्ध की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। यह विधि शत्रु के कमजोर बिंदुओं को पहचान कर और हिट-एंड-रन हमलों के रूप में कार्य करती है। समुद्र में गेरिला युद्ध आमतौर पर छोटे जहाजों और पनडुब्बियों द्वारा किया जाता है।

8. ****समुद्री टोही और खुफिया युद्ध (Naval Reconnaissance and Intelligence Warfare)****

समुद्री युद्ध में खुफिया जानकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौसेना के विमानों, ड्रोन और उपग्रहों का इस्तेमाल दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। यह विधि दुश्मन के रणनीतिक स्थानों और उनकी ताकत का मूल्यांकन करने में मदद करती है।

9. ****मनुष्य और समुद्र का साथ (Amphibious Warfare)**** यह एक युद्ध विधि है, जिसमें समुद्र से तट पर हमला करने के लिए समुद्री बलों का उपयोग किया जाता है। इसमें युद्धपोतों और पनडुब्बियों का इस्तेमाल समुद्र से तट पर सैनिकों और सामरिक आपूर्ति के साथ हमला करने के लिए किया जाता है। यह विधि विशेष रूप से द्वीपों या तटीय क्षेत्रों पर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण होती है।

10. ****नौसैनिक रक्षा और सुरक्षा (Naval Defense and Security)**** समुद्र युद्ध की एक महत्वपूर्ण विधि यह है कि नौसैनिक बल अपने ही तटीय क्षेत्रों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए उपाय करते हैं। इसमें तट रक्षक बलों और अन्य रक्षा प्रणालियों का उपयोग समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। समुद्री युद्ध के ये विभिन्न तरीके अलग-अलग परिस्थितियों में और दुश्मन के ताकत और कमजोरियों के आधार

पर अपनाए जाते हैं। आधुनिक तकनीकी विकास और नए हथियारों के कारण समुद्र युद्ध में नई रणनीतियाँ और विधियाँ विकसित होती जा रही हैं।

Chapter -16

युद्ध-अपराध

****युद्ध अपराध (War Crimes)**** से तात्पर्य उन अपराधों से है जो युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा निषिद्ध होते हैं। ये अपराध सामान्यतः युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हैं और इनमें नागरिकों, युद्धबंदियों और अन्य गैर-लड़ाकों पर अत्याचार करना शामिल होता है। युद्ध अपराधों को गंभीर अपराधों के रूप में माना जाता है, और इनका लक्ष्य युद्ध के दौरान मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। युद्ध अपराधों की व्याख्या करने के लिए प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

1. ****युद्धबंदियों पर अत्याचार (Atrocities against Prisoners of War)**** युद्ध के दौरान, युद्धबंदियों (POWs) की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। युद्ध अपराधों में युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, उन्हें यातनाएँ देना, या उन्हें मारा-पीटा जाना शामिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, युद्धबंदी को मानवाधिकार प्राप्त होते हैं और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

2. ****नागरिकों पर हमले (Attacks on Civilians)**** युद्ध अपराधों में सबसे गंभीर अपराधों में से एक नागरिकों पर हमले करना है। जब युद्ध के दौरान नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, जैसे बमबारी, गोलीबारी, या नरसंहार, तो यह युद्ध अपराध माना जाता है। यह उल्लंघन युद्ध के दौरान युद्धकर्मियों को गैर-लड़ाकों से अलग करता है, और गैर-लड़ाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख उद्देश्य है।

3. ****अवश्य सेवाओं और आपूर्ति के मार्गों का अवरोध (Blockade of Essential Services and Supply Routes)**** युद्ध में शत्रु देश के नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को रोकना, जैसे भोजन, दवाइयाँ और पानी, यह युद्ध अपराध माना जा सकता है। यह विशेष रूप से युद्ध के दौरान नागरिकों को निशाना बनाने के रूप में देखा जाता है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

4. ****दासता, अपहरण और बाल श्रम (Slavery, Kidnapping, and Child Labor)**** युद्ध अपराधों में लोगों को जबरदस्ती गुलाम बनाना, बच्चों को युद्ध में झोंकना, और बलात्कारी आक्रमणों का संचालन भी शामिल है। इन अपराधों का उद्देश्य लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से नष्ट करना है।

5. ****रासायनिक और जैविक युद्ध (Chemical and Biological Warfare)**** रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल भी युद्ध अपराध के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ होते हैं और इनका उपयोग बहुत ही विनाशकारी और निर्दयी तरीके से किया जा सकता है। इन हथियारों का प्रयोग न केवल लड़ाई में शामिल सैनिकों के लिए, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी खतरे की वजह बनता है।

6. ****द्वितीयक अत्याचार (Secondary Atrocities)**** युद्ध के बाद भी कई बार अत्याचार होते हैं, जैसे युद्ध के दौरान घायलों की चिकित्सा सहायता से इनकार करना या युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों को छिपाना। इसमें युद्ध के बाद हिंसा और अन्य दुष्कृत्य शामिल हो सकते हैं, जो युद्ध अपराधों के अंतर्गत आते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दृष्टिकोण: युद्ध अपराधों के खिलाफ कानूनों को लागू करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ काम करती हैं, जैसे: ****आंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court - ICC)**** यह एक स्थायी न्यायालय है जो युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई करता है।

****जीनिवा कन्वेंशन्स (Geneva Conventions)**** ये कन्वेंशन्स युद्ध के दौरान मानवाधिकारों और युद्धबंदियों के अधिकारों की रक्षा करती हैं और युद्ध अपराधों के खिलाफ कड़े नियमों का पालन करने की आवश्यकता को स्पष्ट करती हैं। ****हैग कन्वेंशन्स (Hague Conventions)**** इन कन्वेंशन्स में युद्ध के दौरान युद्धकर्मियों और नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित नियमों की बात की गई है।

निष्कर्ष: युद्ध अपराध वे गंभीर अपराध हैं, जो युद्ध के दौरान निर्दोष लोगों, नागरिकों और युद्धबंदियों के खिलाफ किए जाते हैं। इन अपराधों का उद्देश्य युद्ध की मानवीय सीमाओं को पार करना और अत्याचार करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है ताकि युद्ध के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो और मानवता की रक्षा की जा सके।

****युद्ध अपराध (War Crimes)**** से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उद्देश्य युद्ध के दौरान मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। युद्ध अपराधों से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते, कन्वेंशन्स, और न्यायालय हैं जो युद्ध के दौरान किए गए अपराधों को परिभाषित और दंडित करने के लिए बने हैं। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना युद्ध की घटनाओं को अधिक मानवीय बनाना और शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लेख किया जा सकता है जो युद्ध अपराधों से संबंधित हैं:

1. ****जीनिवा कन्वेंशन्स (Geneva Conventions)**** जीनिवा कन्वेंशन्स, जिनका पहला संस्करण 1864 में आया था और इसके बाद कई बार संशोधन हुआ, युद्ध के दौरान मानवीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विशेष रूप से:

- ****चतुर्थ जीनिवा कन्वेंशन (1949)**** युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों को रोकने पर केंद्रित है। इसमें युद्धबंदियों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

- ****तीसरी जीनिवा कन्वेंशन (1949)**** युद्धबंदियों के उपचार और उनके साथ मानवीय व्यवहार के लिए नियम प्रदान करती है।

- जीनिवा कन्वेंशन्स के तहत युद्ध अपराधों की परिभाषा की गई है, जैसे युद्धबंदियों पर अत्याचार, नागरिकों पर हमला, चिकित्सा सहायता को अवरुद्ध करना, और रासायनिक व जैविक हथियारों का प्रयोग।

2. ****हैग कन्वेंशन्स (Hague Conventions)**** ****हैग कन्वेंशन्स (1899 और 1907)**** युद्ध के दौरान सैन्य नियमों और प्रथाओं के बारे में निर्देश देते हैं। इनमें यह स्पष्ट किया गया है कि युद्ध के दौरान किन सैन्य विधियों का पालन किया जाना चाहिए और नागरिकों और गैर-लड़ाकों को किस प्रकार सुरक्षा मिलनी चाहिए। इनमें से कुछ मुख्य नियम हैं:

- ****सैन्य और नागरिकों के बीच अंतर****: युद्ध में नागरिकों और गैर-लड़ाकों पर हमले नहीं किए जा सकते हैं।

- ****संरक्षित स्थानों का उल्लंघन****: अस्पतालों, स्कूलों और अन्य संरक्षित स्थानों पर हमला करना युद्ध अपराध माना जाता है।

3. ****संयुक्त राष्ट्र चार्टर (United Nations Charter)**** ****संयुक्त राष्ट्र (UN)**** का चार्टर युद्ध अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों को प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शांति और सुरक्षा बनाए रखने का अधिकार है। यह परिषद युद्ध अपराधों के मामलों में दखल दे सकती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन अपराधों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।

4. ****अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court - ICC)**** ****अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)**** 2002 में स्थापित किया गया था और यह युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार, और आक्रामक युद्धों के मामलों को सुनता है। यह न्यायालय उन व्यक्तियों को दंडित करता है जो युद्ध अपराधों में लिप्त होते हैं। ICC का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध अपराधों को दंडित किया जाए और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए।

5. ****नार्वे में नूर्नबर्ग न्यायाधिकरण (Nuremberg Trials)**** ****द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, नूर्नबर्ग न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, जो युद्ध अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जिम्मेदार था। इस न्यायाधिकरण ने युद्ध अपराधों की परिभाषा और उनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव रखी। इस समय से, युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में कानूनी कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हुआ।**

6. ****अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law - IHL)**** ****अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) को "लड़कियों और युद्धों का कानून" भी कहा जाता है। यह नियम युद्धों और संघर्षों के दौरान मानवीय कदाचार से बचने और नागरिकों तथा युद्धबंदियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। IHL का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान अत्याचारों और निष्ठुरता को रोकना है।**

7. ****मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (Montreal Protocol)**** ****यह कन्वेंशन रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध माना जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निषिद्ध हैं।**

8. ****रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध (Chemical Weapons Convention - CWC)**** ****यह कन्वेंशन रासायनिक हथियारों के उत्पादन, संग्रहण, और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। रासायनिक युद्ध के दौरान इन हथियारों का उपयोग युद्ध अपराध माना जाता है।**

निष्कर्ष: युद्ध अपराधों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम युद्ध के दौरान मानवाधिकारों और मानवीय सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। इनमें युद्धबंदियों और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, युद्ध के कृत्यों पर नियंत्रण, और युद्ध के दौरान अत्याचारों और हिंसा को रोकने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कानूनी ढांचे और संस्थाएँ शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्य न्यायालय इन अपराधों को दंडित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोका जा सके।

****न्यूरेबर्ग अभियोग (Nuremberg Trials)**** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1945 से 1949 तक, जर्मनी के न्यूरेबर्ग शहर में युद्ध अपराधों के दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किए गए थे। इन अभियोगों का उद्देश्य नाजी जर्मनी के नेताओं और उनके सहयोगियों को युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के आरोपों में दंडित करना था। इन अभियोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण बदलाव लाए और युद्ध अपराधों के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचे की नींव रखी।

****न्यूरेबर्ग अभियोग का महत्व:****

- **युद्ध अपराधों की परिभाषा का निर्धारण:**** न्यूरेबर्ग न्यायाधिकरण ने युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, और नरसंहार को कानूनी रूप से परिभाषित किया। इससे पहले इन अपराधों को किसी विशेष कानूनी ढांचे के तहत स्पष्ट नहीं किया गया था। न्यायाधिकरण ने यह सुनिश्चित किया कि अब इन अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दंडित किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का आधार:**** न्यूरेबर्ग अभियोग ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली की नींव रखी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा युद्ध अपराधों को दंडित करने की प्रक्रिया को स्थापित किया गया। इन अभियोगों के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाएँ स्थापित हो पाईं, जो अब युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई करती हैं।
- **व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत:**** न्यूरेबर्ग न्यायाधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि युद्ध अपराधों के लिए केवल एक राष्ट्र या राज्य जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। इसका मतलब यह था कि युद्ध अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, चाहे वह उच्च पदस्थ अधिकारी हो या सामान्य सैनिक।
- **मानवाधिकारों की रक्षा:**** न्यूरेबर्ग अभियोगों ने मानवता के खिलाफ अपराधों की एक स्पष्ट परिभाषा दी और यह सिद्ध किया कि युद्धों में नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और युद्धबंदियों के अधिकारों का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसने मानवाधिकारों के उल्लंघन को वैश्विक स्तर पर चुनौती दी।
- **विकसित अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण:**** इस न्यायाधिकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों में सुधार हुआ और यह स्थापित किया गया कि युद्ध अपराधों के लिए दंड सिर्फ पराजित देशों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि हर युद्ध में अपराधी को सजा दी जाएगी।

****न्यूरेबर्ग अभियोग की आलोचना:****

- **विजेता देशों का पक्षपाती न्याय:**** एक प्रमुख आलोचना यह है कि न्यायाधिकरण के दौरान विजेता देशों ने अपने ही हितों को बढ़ावा देने के लिए इन अभियोगों का इस्तेमाल किया। आरोप यह था कि यह न्याय केवल पराजित देशों के लिए था और विजेता देशों के युद्ध अपराधों पर ध्यान नहीं दिया गया। उदाहरण स्वरूप, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के द्वारा किए गए युद्ध अपराधों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।
- **कानूनी वैधता पर सवाल:**** कई आलोचकों का कहना है कि यह न्यायिक प्रक्रिया "न्याय की प्रक्रिया" से ज्यादा राजनीतिक निर्णय थी, क्योंकि यह आरोपियों को बाद में बनाए गए कानूनों के आधार पर सजा दे रही थी। इसका मतलब था कि उनके खिलाफ आरोप पहले से कानून में निर्दिष्ट नहीं थे, और यह "विनाशकारी नियमों" का उल्लंघन था।
- **व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर विवाद:**** न्यूरेबर्ग अभियोगों ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत पेश किया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह सिद्धांत पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं था, क्योंकि कई बार अधिकारियों को आदेशों का पालन करना पड़ता था। कई न्यायाधीशों ने तर्क किया कि यह सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराने के मामले में उचित नहीं था, क्योंकि उन्होंने केवल आदेशों का पालन किया।

4. ****प्रक्रिया में राजनीतिक दबाव:****न्यूरेंबर्ग अभियोगों में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई में राजनीतिक दबाव की भी संभावना जताई गई। विशेष रूप से, यह आरोप लगाया गया कि युद्ध अपराधों को लेकर आरोपों में राजनीतिक एजेंडों का हस्तक्षेप था और जिन नाजी नेताओं पर आरोप लगाए गए, उन पर दोष साबित करने के लिए न्यायालय पर दबाव डाला गया।

****निष्कर्ष:****न्यूरेंबर्ग अभियोग का महत्व बहुत बड़ा था, क्योंकि इसने युद्ध अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचे की नींव रखी और युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की। हालांकि, इसके साथ ही इस प्रक्रिया को लेकर कई आलोचनाएँ भी थीं, विशेष रूप से इसे विजेता देशों द्वारा राजनीति के रूप में इस्तेमाल करने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सवाल उठाए गए। फिर भी, इन अभियोगों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और युद्ध अपराधों के खिलाफ वैश्विक कानूनी संरचना को मजबूत किया।

****नरसंहार (Genocide)**** का मतलब है किसी विशेष जाति, धर्म, राष्ट्रियता, या समाज के एक बड़े समूह का जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से विनाश करना। नरसंहार एक घातक और अमानवीय अपराध है, जो केवल हिंसा और आतंकवाद का रूप नहीं लेता, बल्कि यह मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध होता है। यह न केवल लोगों की जान लेता है, बल्कि यह समूह की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान को भी नष्ट कर देता है।

****नरसंहार पर टिप्पणी:****

1. ****मानवता के खिलाफ अपराध:**** नरसंहार एक ऐसा अपराध है जो मानवता के मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश करता है। यह न केवल लोगों को शारीरिक रूप से मारता है, बल्कि उनके अस्तित्व, उनकी पहचान और उनकी संस्कृति को भी नष्ट कर देता है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे समाज या समुदाय को मानसिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी गहरी क्षति पहुँचती है।

2. ****इतिहास में नरसंहार:**** इतिहास में कई उदाहरण हैं, जब नरसंहार ने लाखों निर्दोष लोगों की जान ली। इनमें ****होलोकॉस्ट**** (द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों का कत्लेआम), ****रूआंडा नरसंहार**** (1994 में तुत्सी और हुतू समुदायों के बीच), और ****खमेर रूज द्वारा किए गए नरसंहार**** (1975-1979, कंबोडिया) शामिल हैं। इन घटनाओं ने दुनिया को यह दिखाया कि नरसंहार किसी भी राष्ट्र, संस्कृति, या समाज को नष्ट कर सकता है।

3. ****अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य:****नरसंहार केवल एक देश का आंतरिक मामला नहीं है; यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ****अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)**** का मुख्य उद्देश्य नरसंहार जैसे अपराधों को रोकना और दोषियों को दंडित करना है। इन संस्थाओं का प्रयास है कि इस प्रकार के अपराधों को वैश्विक स्तर पर रोका जा सके और युद्ध अपराधों, मानवाधिकार उल्लंघन, और नरसंहार के दोषियों को दंडित किया जाए।

4. ****नरसंहार की रोकथाम:**** नरसंहार के पूर्व संकेतों की पहचान करना और उन्हें रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जब किसी देश या क्षेत्र में एक समूह के खिलाफ हिंसा बढ़ रही हो, तो तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि हिंसा और अत्याचार को और बढ़ने से रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा के मामलों को नज़रअंदाज़ न किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

5. ****नरसंहार और समाज:**** नरसंहार का शिकार होने वाले समुदायों और उनके परिवारों के लिए मानसिक और भावनात्मक क्षति अत्यधिक होती है। यह केवल शारीरिक मृत्यु का कारण नहीं होता, बल्कि यह समाज को मानसिक रूप से भी तबाह कर देता है। यह पीड़ित समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नष्ट कर देता है। इसके परिणामस्वरूप, एक पीढ़ी नहीं, बल्कि कई पीढ़ियाँ भविष्य में इसके दुष्परिणाम भुगतती हैं।

6. ****न्याय और पुनर्निर्माण:**** नरसंहार के बाद न्याय की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। जिन लोगों ने नरसंहार का शिकार किया है, उनके लिए न्याय प्राप्त करना और समाज को पुनर्निर्माण की दिशा में ले जाना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दोषियों को सजा दिलवाना और पीड़ितों को मानसिक और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना आवश्यक है। साथ ही, समाज में सामूहिक क्षमा और पुनः एकता की भावना का निर्माण करना भी जरूरी है।

Chapter -17

युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार

****युद्ध बंदियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का विवेचन**** युद्ध बंदी (Prisoners of War, POWs) वे व्यक्ति होते हैं जो युद्ध के दौरान दुश्मन के सैन्य बल द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और वे युद्ध के सक्रिय भागीदार नहीं होते (जैसे सैनिकों या लड़ाकों के स्थान पर नागरिक, युद्ध के दौरान घायल या कैद होने वाले सैनिक)। युद्ध बंदियों के अधिकारों और उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुत स्पष्ट और संकीर्ण है। इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ****जीनिवा कन्वेंशन्स**** और अन्य संबंधित समझौतों का निर्माण किया गया है। युद्ध बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन किया जाता है:

1. ****जीनिवा कन्वेंशन्स (Geneva Conventions)**** ****जीनिवा कन्वेंशन्स****, जो कि 1949 में अद्यतन किए गए थे, युद्ध बंदियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक हैं। जीनिवा कन्वेंशन्स के ****तीसरे कन्वेंशन**** में युद्ध बंदियों के बारे में विशेष नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

1.1 ****युद्ध बंदियों के प्रति सम्मान और व्यवहार (Humane Treatment)**** युद्ध बंदियों को हर प्रकार के अमानवीय, अपमानजनक या क्रूर व्यवहार से बचाया जाना चाहिए। उन्हें कोई भी शारीरिक या मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता। उन्हें मृत्यु, पीड़ा, या भय का सामना नहीं करना चाहिए।

1.2 ****स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल (Medical Care)**** युद्ध बंदियों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। अगर वे घायल हैं, तो उन्हें तत्काल उपचार मिलना चाहिए, और किसी भी प्रकार के इलाज में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

1.3 ****परिवार से संपर्क (Communication with Family)**** युद्ध बंदियों को अपने परिवार से संपर्क करने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें पत्र लिखने और प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वे अपने परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

1.4 ****स्वतंत्र निरीक्षण (Independent Inspection)**** युद्ध बंदी शिविरों का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जैसे संगठन युद्ध बंदियों के अधिकारों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.5 ****युद्ध बंदियों का आदान-प्रदान (Exchange of Prisoners)**** संघर्ष के दौरान युद्ध बंदियों का आदान-प्रदान, विशेष रूप से युद्ध के बाद, एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें दोनों पक्षों के युद्ध बंदियों का एक-दूसरे के बीच आदान-प्रदान किया जाता है, जो शांतिपूर्ण और मानवीय तरीके से किया जाता है।

2. ****हैग कन्वेंशन्स (Hague Conventions)**** ****हैग कन्वेंशन्स**** (1899 और 1907) भी युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों के अधिकारों और उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित कुछ नियम प्रदान करते हैं। इन कन्वेंशन्स का उद्देश्य युद्ध के दौरान मानवता की रक्षा करना है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:

2.1 ****युद्ध बंदियों के अधिकार (Rights of Prisoners of War)**** यह कन्वेंशन युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों के बारे में विशेष रूप से कहता है कि उन्हें किसी भी प्रकार के अपमानजनक, क्रूर, या अमानवीय व्यवहार से बचाया जाए। साथ ही, यह नियम कहता है कि युद्ध बंदियों को किसी भी प्रकार की यातना या असहमति के लिए नहीं तंग किया जाएगा।

2.2 ****न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process)**** अगर युद्ध बंदी को अपराधी माना जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। उसे उचित कानूनी प्रक्रिया से गुजरने का अधिकार प्राप्त है।

3. ****अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस (International Red Cross)**** अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस (ICRC) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो युद्ध बंदियों की देखभाल करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए निगरानी रखता है। यह संगठन युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों के अधिकारों की रक्षा और उनके इलाज के मामलों में सक्रिय रहता है। रेड क्रॉस युद्ध बंदियों के शिविरों का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जीनिवा कन्वेंशन्स के अनुसार उनका इलाज हो रहा है या नहीं।

4. ****अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court - ICC)**** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए कार्य करता है। अगर किसी देश या समूह के नेतृत्व में युद्ध बंदियों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो ICC उन अपराधियों पर मुकदमा चलाता है और उन्हें दंडित करता है।

5. ****विजेताओं द्वारा युद्ध बंदियों की स्थिति (Treatment of POWs by the Victor)**** यह भी महत्वपूर्ण है कि युद्ध में हारने वाले पक्ष के युद्ध बंदियों को विजेता पक्ष द्वारा उचित तरीके से सम्मानित किया जाए। विजेता को यह अधिकार नहीं है कि वह युद्ध बंदियों के साथ कोई अमानवीय व्यवहार करे या उन्हें नष्ट कर दे। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

निष्कर्ष: युद्ध बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीनिवा कन्वेंशन्स और हैग कन्वेंशन्स ने युद्ध बंदियों के अधिकारों के प्रति वैश्विक स्तर पर एक साझा समझौते का निर्माण किया है। इन कानूनी ढाँचों का उद्देश्य युद्ध के दौरान मानवीय व्यवहार को सुनिश्चित करना है, ताकि युद्ध बंदियों को किसी भी प्रकार के शोषण या अत्याचार से बचाया जा सके। युद्ध के बावजूद, मानवता और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।

Chapter - 18

बहु राष्ट्रीय निगम - स्वरूप तथा भूमिका

****बहुराष्ट्रीय निगम (Multinational Corporation - MNC)**** वह कंपनियां होती हैं जो एक ही व्यापारिक संगठन के रूप में विभिन्न देशों में अपने संचालन करती हैं। इन कंपनियों के पास कई देशों में उत्पादन इकाइयाँ, शाखाएँ, या सहायक कंपनियाँ होती हैं, जबकि इनका मुख्यालय किसी एक देश में स्थित होता है। बहुराष्ट्रीय निगम आमतौर पर वैश्विक स्तर पर व्यापार करते हैं और उनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना, लाभ कमाना और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की सेवाएँ और उत्पाद उपलब्ध कराना होता है।

****अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों के स्वरूप एवं भूमिका की व्याख्या**** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs) का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कंपनियां विभिन्न देशों में अपने व्यापारिक हितों के लिए काम करती

हैं और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

बहुराष्ट्रीय निगमों का स्वरूप: 1. ****बहुराष्ट्रीय उपक्रम****: बहुराष्ट्रीय निगमों के पास कई देशों में शाखाएं या सहायक कंपनियां होती हैं। इनका मुख्यालय एक देश में हो सकता है, लेकिन उनके उत्पादन, वितरण और विपणन के कार्य कई देशों में फैले होते हैं। जैसे, "नाइकी", "मैकडोनाल्ड्स", "कोका-कोला" आदि।

2. ****संसाधनों का वितरण****: इन निगमों के पास विश्वभर में फैले हुए संसाधन होते हैं। ये कारखाने, वितरक, आपूर्ति श्रृंखला, मानव संसाधन आदि का प्रबंधन करते हैं। इससे इन निगमों का वैश्विक प्रभाव बढ़ता है।

3. ****संवेदनशील निर्णय****: इन कंपनियों के फैसले केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनका प्रभाव कई देशों की अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार और पर्यावरण नीति पर भी पड़ता है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका: 1. ****आर्थिक प्रभाव****: MNCs दुनिया भर में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। वे पूंजी निवेश, नई तकनीक, और कौशल का आदान-प्रदान करती हैं। इसके परिणामस्वरूप देशों की आर्थिक वृद्धि में योगदान होता है।

2. ****रोजगार सृजन****: MNCs में लाखों लोग काम करते हैं, जो रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। ये कंपनियां विकासशील देशों में रोजगार की स्थिति सुधारने में मदद करती हैं।

3. ****प्रौद्योगिकी हस्तांतरण****: बहुराष्ट्रीय निगम नए तकनीकी उपायों और उत्पादों को उन देशों में लाती हैं, जहां उन्हें लागू किया जाता है। इससे उन देशों की तकनीकी स्थिति में सुधार होता है।

4. ****वैश्विक बाजार की एकता****: MNCs वैश्विक बाजार में एकता और साझेदारी का निर्माण करती हैं। वे विभिन्न देशों के बाजारों को एकजुट करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देती हैं।

5. ****राजनीतिक प्रभाव****: MNCs अपने व्यापारिक हितों के लिए देशों की नीतियों पर प्रभाव डाल सकती हैं। कभी-कभी, इन निगमों के प्रभाव से देश की आंतरिक नीतियां और कानून बदलते हैं।

6. ****सांस्कृतिक प्रभाव****: बहुराष्ट्रीय निगम सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी कारण बनती हैं। यह कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से विभिन्न देशों की संस्कृति को प्रभावित करती हैं।

निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ चुका है। ये कंपनियां न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं, बल्कि देशों की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं पर भी प्रभाव डालती हैं। हालांकि, इन निगमों के अत्यधिक प्रभाव के कारण कुछ चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव, श्रम शोषण और पर्यावरणीय नुकसान। इसलिए, बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका को समझते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी निगरानी और नियंत्रण आवश्यक है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताएँ:

1. **विभिन्न देशों में शाखाएँ**: बहुराष्ट्रीय निगमों के पास कई देशों में उनके उत्पादन और विपणन इकाइयाँ होती हैं। उदाहरण के तौर पर, "कोका-कोला", "मैकडोनाल्ड्स", "नाइकी" जैसी कंपनियां अलग-अलग देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं।
2. **मुख्यालय एक स्थान पर**: इन कंपनियों का मुख्यालय एक देश में होता है, लेकिन इनके उत्पादन और विपणन के कार्य दुनिया भर में फैले होते हैं।
3. **पूंजी और संसाधनों का आदान-प्रदान**: ये निगम विभिन्न देशों से संसाधन जुटाते हैं, पूंजी निवेश करते हैं और तकनीकी प्रगति को साझा करते हैं।

4. **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** बहुराष्ट्रीय निगम अपनी तकनीक और नवाचारों को विभिन्न देशों में लागू करती हैं, जिससे इन देशों की आर्थिक प्रगति होती है।
5. **बाजारों की विविधता:** ये कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर अपने उत्पाद और सेवाओं को बेचती हैं, जो इनकी मार्केटिंग रणनीतियों और उत्पादों को अलग-अलग देशों के अनुरूप ढालने में मदद करती हैं।

Chapter-19

नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था : अर्थ तथा रूप

****नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (New International Economic Order - NIEO) क्या है?*****

नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (NIEO) एक महत्वपूर्ण विचारधारा और वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है, जो 1970 के दशक में विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के आर्थिक ढांचे को इस तरह से पुनः व्यवस्थित करना था कि विकासशील देशों को अधिक न्यायपूर्ण और समान आर्थिक अवसर मिल सकें, और विकसित देशों के वर्चस्व को समाप्त किया जा सके। यह व्यवस्था वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानताओं को कम करने, संसाधनों के वितरण को समान बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को विकासशील देशों के पक्ष में सुधारने के लिए काम करती है।

नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य:

1. ****विकासशील देशों के लिए आर्थिक न्याय****: नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह था कि विकासशील देशों को अपने संसाधनों के अधिक नियंत्रण और अधिक लाभ प्राप्त हो। इन देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपायों की आवश्यकता थी।
2. ****वैश्विक संसाधनों का पुनर्वितरण****: यह विचार था कि विश्वभर के संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाए ताकि विकासशील देशों को अधिक संसाधन प्राप्त हो सकें। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिजों, कृषि उत्पादों आदि की कीमतों पर अधिक नियंत्रण और न्यायपूर्ण वितरण की आवश्यकता महसूस की गई।
3. ****अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार****: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को इस प्रकार से संशोधित किया जाए, ताकि विकासशील देशों के उत्पादों और सेवाओं के लिए बेहतर बाजारों तक पहुँच मिल सके। इसके लिए विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और व्यापार में भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त करने की आवश्यकता थी।

4. ****आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता****: विकासशील देशों को अपनी आर्थिक नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उन्हें विदेशी सहायता और कर्ज से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए इन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में समान और न्यायपूर्ण स्थान मिलना आवश्यक था।

5. ****विकासशील देशों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता****: नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों को तकनीकी, वित्तीय और संसाधन सहायता देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इन देशों के लिए तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उपायों पर ध्यान दिया गया।

नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व:

1. ****संवृद्धि और समानता****: NIEO में यह सिद्धांत था कि दुनिया भर में समृद्धि और विकास का लाभ समान रूप से बांटा जाए, विशेषकर विकासशील देशों में। यह व्यापार, निवेश, और आर्थिक नीति के संदर्भ में समान अवसर और संसाधन वितरण की ओर इशारा करता है।

2. ****प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व****: NIEO के तहत यह प्रस्ताव था कि विकासशील देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और अधिकार मिलें। खासतौर पर, तेल और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कीमतों का नियंत्रण और उनकी बिक्री से प्राप्त धन का अधिकतम लाभ इन देशों को मिले।

3. ****न्यायपूर्ण व्यापार और वित्तीय संबंध****: NIEO ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की, ताकि विकासशील देशों के साथ अधिक न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा सके। इसमें विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क में कटौती और सस्ती शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई थी।

4. ****वैश्विक संस्थाओं का सुधार****: NIEO के तहत यह भी प्रस्तावित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक (World Bank), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार किया जाए ताकि यह संस्थाएँ विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करें।

नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ:

1. ****विकसित देशों का विरोध****: नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रस्तावों का विकासशील देशों द्वारा समर्थन किया गया, लेकिन विकसित देशों ने इसका विरोध किया। विकसित देशों का मानना था कि ऐसे सुधारों से उनके व्यापारिक और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचेगा।

2. ****वैश्विक असमानताएँ****: NIEO का उद्देश्य वैश्विक असमानताओं को समाप्त करना था, लेकिन इसके बावजूद विश्व स्तर पर आर्थिक असमानताएँ बनी रहीं। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन लाना और इस दृष्टिकोण को लागू करना बहुत कठिन साबित हुआ।

3. ****संस्थागत बाधाएँ****: विश्व बैंक, IMF और WTO जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाने में बहुत समय और कठिनाई आई। इन संस्थाओं के पास पहले से ही शक्तिशाली देशों का दबदबा था, जो किसी भी बदलाव को स्वीकार करने में हिचकते थे।

निष्कर्ष: नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (NIEO) का विचार विशेष रूप से 1970 के दशक में उभरा था, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक असमानताओं को कम करना और विकासशील देशों को उनके सही हिस्से का लाभ दिलाना था। हालांकि यह एक आदर्श योजना थी, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करना कई चुनौतियों और विरोधों का सामना करता रहा। फिर भी, इस विचारधारा ने वैश्विक आर्थिक न्याय, समानता, और विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया।

****नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (New International Economic Order - NIEO) की प्रमुख माँगें****: नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (NIEO) का विचार विशेष रूप से 1970 के दशक में विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत किया

गया था, और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार लाना था ताकि विकासशील देशों को अधिक समान, न्यायपूर्ण और स्थिर अवसर मिल सकें। NIEO की प्रमुख माँगें निम्नलिखित थीं:

1. ****विकासशील देशों के लिए संसाधनों का अधिक नियंत्रण****: - विकासशील देशों की यह माँग थी कि उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिज, कृषि उत्पादों आदि पर अधिक नियंत्रण और स्वामित्व मिलना चाहिए। उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे अपने संसाधनों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और उनका लाभ उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपयोग किया जा सके।

2. ****न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था****:- NIEO के तहत यह माँग की गई कि वैश्विक व्यापार प्रणाली को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाए कि विकासशील देशों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर अवसर मिल सकें। इसके लिए व्यापार में भेदभावपूर्ण नीतियाँ, जैसे उच्च आयात शुल्क और सब्सिडी, को समाप्त किया जाए और विकासशील देशों के उत्पादों के लिए बाजार तक आसान पहुँच सुनिश्चित की जाए।

3. ****मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण****: - विकासशील देशों का यह मत था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके उत्पादों की कीमतों का निर्धारण एकतरफा रूप से विकसित देशों द्वारा किया जाता है। NIEO की प्रमुख माँग थी कि इन देशों को अपने उत्पादों की कीमतों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो, ताकि वे अपने संसाधनों से अधिक लाभ कमा सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकें।

4. ****वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार****:- NIEO के अंतर्गत यह माँग की गई थी कि वैश्विक वित्तीय संस्थाओं जैसे ****विश्व बैंक**** (World Bank), ****अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष**** (IMF) और ****वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन**** (WTO) को इस तरह से सुधारित किया जाए कि वे विकासशील देशों के हितों का अधिक ध्यान रखें। विशेष रूप से IMF और World Bank द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को उन देशों के विकास के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

5. ****विकासशील देशों को कर्ज की माफी और आसान शर्तों पर ऋण****: - NIEO की प्रमुख माँग यह थी कि विकासशील देशों के ऊपर भारी कर्ज का बोझ था, जिसे वह चुकता करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए इन देशों के कर्ज को कम किया जाए या माफ किया जाए और यदि ऋण दिया जाए तो उसे आसान शर्तों पर और कम ब्याज दर पर दिया जाए।

6. ****नई तकनीकी सहायता और हस्तांतरण****:- विकासशील देशों को नई तकनीक और नवाचार का अधिक लाभ उठाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की माँग की गई थी। इस उद्देश्य के लिए, विकासशील देशों को उन्नत तकनीकों और वैज्ञानिक उपकरणों का हस्तांतरण किया जाए ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकें।

7. ****मानवाधिकार और सामाजिक न्याय****: - NIEO ने वैश्विक आर्थिक न्याय के साथ-साथ मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की भी माँग की थी। यह सुनिश्चित करना कि सभी देशों में श्रमिकों, महिलाओं, और अन्य उपेक्षित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाए, एक महत्वपूर्ण पहलू था।

8. ****विकासशील देशों के लिए शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएँ****: - विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर सुधारने के लिए NIEO ने इन देशों को वैश्विक सहायता देने की माँग की थी। यह आवश्यक था कि इन देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में संसाधन और सहायता प्रदान की जाए ताकि उनकी सामाजिक संरचनाओं का सुधार हो सके।

9. ****वैश्विक संपत्ति और आय में असमानताओं को कम करना****: - NIEO की एक महत्वपूर्ण माँग यह थी कि वैश्विक स्तर पर संपत्ति और आय के बीच बढ़ती असमानताओं को कम किया जाए। यह लक्ष्य विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक अंतर को कम करने के लिए था।

10. ****सशक्त बहुपक्षीय व्यवस्था का निर्माण****: NIEO ने यह प्रस्ताव रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्णयों में बहुपक्षीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें सभी देशों की आवाज़ को सुना जाए। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती कि निर्णयों में केवल शक्तिशाली देशों की ही नहीं, बल्कि सभी देशों की भलाई का ध्यान रखा जाए।

निष्कर्ष: नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (NIEO) की प्रमुख माँगें वैश्विक आर्थिक असमानताओं को दूर करने, विकासशील देशों को उनके संसाधनों और व्यापारिक अवसरों पर अधिक नियंत्रण देने, और एक न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए थीं। हालांकि इन माँगों को पूरी तरह से लागू करना कई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन NIEO ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक न्याय और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया।

****नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उत्तर-दक्षिण विवाद और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका****

नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (New International Economic Order - NIEO) का विचार 1970 के दशक में प्रमुख रूप से विकासशील देशों ने प्रस्तुत किया था, जिसमें वैश्विक आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने और विकासशील देशों को अधिक समान अवसर देने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। इस संदर्भ में, ****उत्तर-दक्षिण विवाद**** और ****संयुक्त राष्ट्र की भूमिका**** बहुत महत्वपूर्ण है।

1. ****उत्तर-दक्षिण विवाद (North-South Divide)****: "उत्तर-दक्षिण विवाद" शब्द का उपयोग विश्व के समृद्ध और विकासशील देशों के बीच बढ़ती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ ****"उत्तर"*** से आशय उन समृद्ध औद्योगिक देशों से है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं (जैसे, अमेरिका, यूरोप के देश, जापान), और ****"दक्षिण"*** से आशय उन विकासशील देशों से है जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं (जैसे, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश)।

****उत्तर-दक्षिण विवाद के कारण****: 1. ****आर्थिक असमानताएँ****: उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच विकास, संसाधनों की उपलब्धता, और जीवन स्तर में भारी अंतर है। समृद्ध देशों के पास अधिक संसाधन, तकनीकी प्रगति और पूंजी है, जबकि विकासशील देशों को गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है।

2. ****प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण****: समृद्ध देशों ने विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का अधिकांश नियंत्रण किया है। इसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों को अपने संसाधनों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, और वे अक्सर इनके निर्यात से उचित लाभ नहीं उठा पाते।

3. ****वैश्विक व्यापार असंतुलन****: विकासशील देशों के उत्पादों के लिए उच्च आयात शुल्क, सब्सिडी और अन्य व्यापारिक प्रतिबंध समृद्ध देशों द्वारा लगाए जाते हैं, जो उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोकते हैं।

4. ****ऋण संकट****: विकासशील देशों के ऊपर अत्यधिक विदेशी ऋण का बोझ है, जो उनके आर्थिक विकास में बाधक है। जबकि विकसित देशों के पास पूंजी के बेहतर स्रोत होते हैं, विकासशील देशों को उधारी और उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ता है।

2. ****संयुक्त राष्ट्र की भूमिका****

संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उत्तर-दक्षिण विवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आर्थिक असमानताओं को दूर करने, विकासशील देशों की मदद करने और वैश्विक स्तर पर न्यायपूर्ण व्यापारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

****संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के प्रमुख पहलू****

1. ****विकासशील देशों के हितों की रक्षा****: संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा विकासशील देशों के अधिकारों और हितों की रक्षा की है। विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन on Trade and Development (UNCTAD) जैसे संगठनों के माध्यम से, यूएन ने विकासशील देशों को व्यापार, निवेश और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।

2. ****नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)****: संयुक्त राष्ट्र ने NIEO के प्रस्ताव का समर्थन किया, जो वैश्विक व्यापार और आर्थिक व्यवस्था को इस तरह से पुनर्गठित करने का प्रस्ताव था कि विकासशील देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार में अधिक लाभ मिले। इस प्रस्ताव में वैश्विक संस्थाओं (जैसे विश्व बैंक और IMF) के सुधार की आवश्यकता को प्रमुख रूप से उठाया गया।

3. ****वैश्विक गरीबी और असमानता को कम करना****: संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। उदाहरण के लिए, ****संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य**** (SDGs) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर गरीबी को समाप्त करना और समृद्धि में वृद्धि करना है।

4. ****मानवाधिकार और सामाजिक न्याय****: संयुक्त राष्ट्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए कि विकासशील देशों में सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा, और महिलाओं, बच्चों और अन्य उपेक्षित वर्गों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए।

5. ****अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय दृष्टिकोण**** यूएन ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जहां सभी देशों को समान रूप से अपनी राय और विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। यह दृष्टिकोण वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरणीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और आतंकवाद के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. ****उत्तर-दक्षिण विवाद और संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौतियाँ****

1. ****विकसित देशों का विरोध****: उत्तर-दक्षिण विवाद में कई बार विकसित देशों ने विकासशील देशों की माँगों का विरोध किया है। विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और व्यापारिक सुधारों को लेकर मतभेद होते हैं। विकसित देशों का मानना है कि अगर इन सुधारों को लागू किया गया, तो उनका आर्थिक हित प्रभावित होगा।

2. ****संयुक्त राष्ट्र के फैसलों का प्रभाव****: संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और निर्णयों को कभी-कभी लागू करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार इसके लिए सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाती। विशेष रूप से आर्थिक मुद्दों पर अक्सर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी होती है।

निष्कर्ष:****उत्तर-दक्षिण विवाद**** एक गंभीर वैश्विक समस्या है, जो आर्थिक असमानताओं, व्यापारिक भेदभाव, और संसाधनों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होती है। ****संयुक्त राष्ट्र**** इस विवाद के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना है, ताकि सभी देशों को उनके उचित हिस्से का लाभ मिल सके। इसके बावजूद, उत्तर-दक्षिण के बीच असमानताएँ और हितों के टकराव के कारण, यह व्यवस्था अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकी है।

Chapter-20

तटस्थता

****तटस्थता (Tatasthata) का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ, प्रकार और महत्व****

****1. तटस्थता का अर्थ (Meaning of Tatasthata):**** तटस्थता का अर्थ है, किसी भी विवाद या संघर्ष में पक्ष न लेना और न ही किसी एक पक्ष का समर्थन करना। इसे "न तटस्थ होना" या "निर्लिप्तता" के रूप में भी समझा जा सकता है। यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति, और युद्धों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तटस्थता का उद्देश्य संघर्ष या विवाद से दूर रहकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखना होता है।

****2. तटस्थता की परिभाषा (Definition of Tatasthata):**** तटस्थता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति, देश या संगठन किसी विवाद में शामिल हुए बिना या किसी पक्ष का समर्थन किए बिना अपनी स्थिति बनाए रखता है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के संघर्ष से खुद को अलग रखना और अन्य पक्षों के बीच शांति बनाए रखना है। यह स्थिति एक निराकार (neutral) दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।

****तटस्थता (Tatasthata) - राजनीतिक विचारकों के अनुसार परिभाषा**** राजनीतिक विचारकों के अनुसार तटस्थता का अर्थ है, किसी राजनीतिक संघर्ष, युद्ध या विवाद में भाग न लेना और न ही किसी एक पक्ष का समर्थन करना। यह सिद्धांत विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, युद्धों, और घरेलू राजनीतिक विवादों में लागू होता है, जहां तटस्थ पक्ष किसी भी एक पक्ष के बजाय निष्पक्ष और स्वतंत्र स्थिति बनाए रखता है। तटस्थता की परिभाषा राजनीति में केवल संघर्षों से दूरी बनाए रखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उन परिस्थितियों में भी लागू होती है जब किसी को भी बाहरी प्रभाव या हस्तक्षेप से बचना होता है।

तटस्थता की परिभाषा - राजनीतिक दृष्टिकोण से:

राजनीतिक दृष्टिकोण से तटस्थता का अर्थ है: "एक ऐसा दृष्टिकोण या नीति, जिसमें कोई राष्ट्र या व्यक्ति किसी भी आंतरिक या बाहरी विवाद में शामिल नहीं होता और अपने राजनीतिक, सैन्य, या आर्थिक दृष्टिकोण में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता।"

****तटस्थता के राजनीतिक विचारकों के अनुसार प्रमुख विचार:****

1. ****थॉमस होब्स (Thomas Hobbes)****:- थॉमस होब्स का मानना था कि तटस्थता का उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है। उन्होंने कहा था कि तटस्थता एक राज्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे यह बाहरी संघर्षों से मुक्त रहता है।

2. ****जॉन लॉक (John Locke)****:- जॉन लॉक ने तटस्थता को एक ऐसा सिद्धांत माना, जो राजनीति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। उनका यह मानना था कि एक तटस्थ शासन किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से बचकर अपने नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षित करता है।

3. ****इमैनुअल कांट (Immanuel Kant)****:- इमैनुअल कांट ने अपनी "द परपेट्युअल पीस" (Perpetual Peace) नामक पुस्तक में यह सिद्धांत दिया कि देशों को तटस्थ रहकर युद्ध और संघर्षों से बचने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, तटस्थता से वैश्विक शांति की स्थापना संभव हो सकती है क्योंकि यह किसी एक पक्ष के साथ नहीं होता और सभी के लिए निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करता है।

4. ****विन्सेंट ओ'ब्रायन (Vincent O'Brien)****:- एक और राजनीतिक विचारक, विन्सेंट ओ'ब्रायन ने कहा कि तटस्थता केवल सैन्य संघर्षों से दूर रहने की नीति नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की भावना भी है। उनका मानना था कि यह देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष: राजनीतिक दृष्टिकोण से तटस्थता एक नीति है जो संघर्षों और विवादों से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से अपनाई जाती है। यह किसी भी पक्ष का समर्थन न करने का एक रूप है, और इसके द्वारा देशों और व्यक्तियों को स्वतंत्रता, शांति, और राजनीतिक स्थिरता प्राप्त होती है। राजनीतिक विचारकों के अनुसार, तटस्थता न केवल शांति बनाए रखने का एक तरीका है, बल्कि यह मानवाधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता और वैश्विक न्याय के लिए भी आवश्यक है।

Chapter- 21

तटस्थ राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्य

****तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य**** तटस्थता का सिद्धांत विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्धों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जब कोई राज्य तटस्थता अपनाता है, तो उसका उद्देश्य युद्ध या संघर्ष से खुद को अलग रखना और निष्पक्ष रूप से अपनी स्थिति बनाए रखना होता है। तटस्थता का यह सिद्धांत न केवल शांति स्थापित करने का एक तरीका है, बल्कि यह तटस्थ राज्यों को कुछ विशेष अधिकारों और कर्तव्यों से भी जोड़ता है।

****तटस्थ राज्यों के अधिकार (Rights of Neutral States)**** 1. ****संप्रभुता और स्वतंत्रता का अधिकार****:

- तटस्थ राज्य को अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि वह बाहरी शक्तियों से हस्तक्षेप या दबाव से मुक्त रहता है और स्वतंत्र रूप से अपने राजनीतिक और आर्थिक निर्णय ले सकता है।

2. ****सैन्य संघर्ष से बचने का अधिकार****: - तटस्थ राज्य युद्ध या संघर्षों में भाग लेने का अधिकार नहीं रखता है। यदि कोई अन्य राज्य उस पर हमला करता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के तहत रक्षा करने का अधिकार होता है।

3. ****निष्पक्षता का अधिकार****: - तटस्थ राज्य यह अधिकार रखता है कि वह संघर्षों में किसी पक्ष का समर्थन न करे। इसके तहत वह किसी भी एक पक्ष के लिए सैन्य सहायता या आर्थिक समर्थन प्रदान नहीं करेगा।

4. ****वाणिज्यिक संबंधों की स्वतंत्रता****: - तटस्थ राज्य को युद्ध में शामिल पक्षों के साथ वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंध बनाने का अधिकार होता है, जब तक यह संघर्ष को और बढ़ावा नहीं देता है। इसका मतलब है कि तटस्थ राज्य दोनों पक्षों के साथ व्यापार कर सकता है, लेकिन युद्ध सामग्री और युद्ध से संबंधित सामान की आपूर्ति से बचता है।

5. ****संघर्ष से प्रभावित नागरिकों के अधिकार****: - तटस्थ राज्य युद्ध के प्रभावित नागरिकों को शरण देने का अधिकार रखता है, लेकिन यह शरण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों और शर्तों के अनुसार ही हो सकती है।

****तटस्थ राज्यों के कर्तव्य (Duties of Neutral States)****

1. ****निष्पक्षता बनाए रखना****: - तटस्थ राज्य का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह युद्ध में किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं करे। उसे निष्पक्ष रहते हुए दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार करना होता है। अगर वह किसी पक्ष का समर्थन करता है, तो उसकी तटस्थता समाप्त हो सकती है।

2. ****अपने क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना****: - तटस्थ राज्य को अपने क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है ताकि अन्य देशों को उसे अपने संघर्षों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति न मिले। तटस्थ क्षेत्र में सैन्य संघर्ष या युद्ध सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

3. ****संघर्ष के दौरान कानूनों का पालन करना****: - तटस्थ राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का पालन करना होता है। इसे संघर्षों के दौरान युद्ध से संबंधित कानूनी ढांचे, जैसे कि जेनिवा कन्वेंशन्स, का पालन करना पड़ता है।

4. ****तटस्थता की स्थिति की घोषणा करना****: - जब कोई राज्य तटस्थता की नीति अपनाता है, तो उसे यह स्थिति अन्य देशों को स्पष्ट रूप से बतानी होती है। यह अन्य देशों को यह बताता है कि यह राज्य संघर्ष में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेगा।

5. ****तटस्थ क्षेत्र में हस्तक्षेप से बचना****: - तटस्थ राज्य का कर्तव्य है कि वह संघर्ष के समय किसी पक्ष का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। तटस्थ क्षेत्र में किसी प्रकार की सैन्य या अन्य गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए जो संघर्ष को बढ़ावा दें।

6. ****विभाजन से बचने और शांति बनाए रखना****: - तटस्थ राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वह किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय या वैश्विक विवादों में शामिल होने से बचे और शांति बनाए रखने का प्रयास करे।

****निष्कर्ष****: तटस्थ राज्यों के पास विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जो उन्हें संघर्षों से बचने, शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन में मदद करते हैं। तटस्थ राज्य अपनी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और क्षेत्रीय

सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, वैश्विक शांति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन इसे अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सतर्क रहना होता है और इसे अपने अधिकारों का सम्मान करते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं।

Chapter-22

परिवेष्टन या नाकाबन्धी

"नकबन्दी" (Nakabandi) का मतलब है "नकाबन्दी करना" या "नकाबन्दी" की प्रक्रिया, जिसका तात्पर्य है एक जगह पर बाड़ा, घेराबन्दी या रास्ता रोकने की कार्यवाही करना। यह शब्द अक्सर पुलिस या सुरक्षा बलों द्वारा सड़क पर घेराबन्दी करने, वाहनों की तलाशी लेने, या संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के संदर्भ में प्रयोग होता है।

अर्थात्, नकबन्दी का मतलब एक खास स्थान पर किसी प्रकार की चेकिंग या सुरक्षा उपाय लागू करना होता है।

नकबन्दी (Nakabandi) के आवश्यक तत्व (तत्व) निम्नलिखित हैं:

1. **स्थान का चयन**: - नकबन्दी के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करना जरूरी है। यह वह जगह होनी चाहिए जहाँ संदिग्ध गतिविधियाँ हो सकती हैं या सुरक्षा की आवश्यकता हो।
2. **सुरक्षा बलों की तैनाती**: - नकबन्दी को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस या सुरक्षा बलों की तैनाती आवश्यक होती है। यह सुनिश्चित करता है कि चेकिंग सुचारु रूप से हो सके।
3. **समान दूरी पर चेकिंग प्वाइंट्स**: - नकबन्दी में एक से अधिक चेकिंग प्वाइंट्स स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे वाहनों और व्यक्तियों की जांच बेहतर तरीके से हो सके।
4. **वाहनों की सघन जांच**: - नकबन्दी के दौरान वाहनों की जांच की जाती है, जिसमें बैग, डिग्गी (बूट), और वाहनों के अन्य हिस्सों को चेक किया जाता है ताकि किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों या सामग्री को पकड़ा जा सके।
5. **संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान**: - नकबन्दी के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाती है, उनकी जानकारी ली जाती है, और उन्हें पूछताछ के लिए रोका जा सकता है।
6. **स्मार्ट और मजबूत संचार नेटवर्क**: - नकबन्दी के दौरान, पुलिस बलों के बीच प्रभावी संचार नेटवर्क का होना आवश्यक है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।
7. **नियमों और कानूनों का पालन**: - नकबन्दी के दौरान, सभी कार्रवाइयों को कानूनी तरीके से और अधिकारों का सम्मान करते हुए किया जाता है। किसी भी प्रकार की अवैध जांच या बल का उपयोग नहीं किया जाता है।
8. **सामग्री की निगरानी**: - नकबन्दी के दौरान संदिग्ध सामग्री, जैसे कि हथियार, मादक पदार्थ, या अन्य अवैध वस्तुएं, की जांच की जाती है और यदि कुछ संदिग्ध पाया जाता है, तो उसे जब्त किया जाता है।

इन सभी तत्वों का समुचित और व्यवस्थित रूप से पालन करना नकबंदी को सफल बनाता है।

नकबंदी (Nakabandi) के विभिन्न रूप होते हैं, जो स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते हैं।

निम्नलिखित नकबंदी के प्रमुख रूप हैं:

1. ****सड़क नकबंदी (Road Nakabandi)****: - यह सबसे सामान्य रूप है, जिसमें पुलिस या सुरक्षा बल किसी मुख्य या उपयुक्त सड़क पर घेराबंदी करते हैं। यहाँ पर वाहनों की तलाशी ली जाती है और संदिग्ध व्यक्तियों को रोका जाता है। यह आमतौर पर सुरक्षा कारणों या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की जाती है।
2. ****शहर या इलाका नकबंदी (City or Area Nakabandi)****: - इस प्रकार की नकबंदी में पूरे शहर या किसी खास क्षेत्र में घेराबंदी की जाती है। इसका उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों को नियंत्रित करना और सुरक्षा बनाए रखना होता है। इसमें जगह-जगह पुलिस चेक प्वाइंट्स बनाए जाते हैं।
3. ****विशेष इवेंट नकबंदी (Special Event Nakabandi)****:- यह उस समय की जाती है जब किसी विशेष इवेंट (जैसे कि धार्मिक मेला, राजनीतिक रैली, खेल प्रतियोगिता आदि) का आयोजन हो रहा होता है। इस प्रकार की नकबंदी का उद्देश्य उस विशेष घटना के दौरान सुरक्षा बनाए रखना और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना होता है।
4. ****चेकिंग के लिए गेट या चेकपॉइंट्स (Gate/Checkpoint Nakabandi)****: - इस प्रकार की नकबंदी में पुलिस या सुरक्षा बल किसी महत्वपूर्ण गेट या चेकपॉइंट्स पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, या सीमाओं पर। यहाँ पर प्रवेश करने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जाती है।
5. ****सैन्य नकबंदी (Military Nakabandi)****: - जब सुरक्षा स्थिति अत्यधिक संवेदनशील होती है, तो सैन्य बलों द्वारा नकबंदी की जाती है। यह आमतौर पर आतंकवाद या युद्ध जैसी स्थिति में होती है, जहाँ विशेष निगरानी और चेकिंग की जरूरत होती है।
6. ****गांव या छोटे इलाकों में नकबंदी (Village or Rural Nakabandi)****: - यह ग्रामीण इलाकों में की जाती है, जहाँ पुलिस या सुरक्षा बलों को असामाजिक तत्वों या संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए गांव के रास्तों पर या किसी छोटे इलाके में चेकिंग करनी होती है।
7. ****नकबंदी के दौरान विशेष अभियान (Special Operation Nakabandi)****: - जब किसी विशेष आपराधिक गिरोह या संदिग्ध समूह के खिलाफ अभियान चलाना होता है, तो नकबंदी एक महत्वपूर्ण रूप में कार्य करती है। इसमें एक जगह या क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया जाता है और सभी संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जाती है।

इन सभी रूपों का उद्देश्य जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना और संदिग्ध गतिविधियों को रोकना होता है।

Chapter-23

विनिसिद्ध

"विनिषिद्ध" (Vinisiddh) एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है "प्रतिबंधित" या "निषिद्ध"। यह शब्द विशेष रूप से उस स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, जब किसी कार्य, वस्तु, या क्रिया को कानूनी, धार्मिक या अन्य किसी कारण से करना मना होता है।

इसका अर्थ है, "जो काम या वस्तु किया या प्रयोग किया जाना अवैध या अनुपयुक्त माना जाता है"।

राजनीतिक विचारकों के अनुसार ****विनिषिद्ध**** (Vinisiddh) शब्द का अर्थ उस कार्य, विचार या क्रिया से है जिसे किसी राज्य, शासन या राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अवैध, निषेध या प्रतिबंधित घोषित किया गया हो। यह शब्द आमतौर पर उन चीजों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें राजनीतिक शक्ति या सरकार के द्वारा किसी कारणवश, जैसे कि सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, या राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, मना किया जाता है।

****राजनीतिक विचारकों के अनुसार "विनिषिद्ध" की परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकती है****:

1. ****राज्य द्वारा प्रतिबंध (State Prohibition)****: - किसी विशेष कार्य, विचार या संगठन को राज्य या सरकार द्वारा अवैध घोषित करना। यह किसी विशेष विचारधारा, आंदोलन, या पार्टी को दबाने के उद्देश्य से हो सकता है, खासकर जब यह सत्ता के लिए खतरे का कारण बनता हो। उदाहरण के लिए, एक विरोधी राजनीतिक दल को प्रतिबंधित करना।

2. ****स्वतंत्रता पर नियंत्रण (Control on Freedom)****: - लोकतांत्रिक या गैर-लोकतांत्रिक सरकारें कुछ कार्यों या विचारों को विनिषिद्ध कर सकती हैं, जैसे मीडिया की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाना, जन आंदोलनों को दबाना, या नागरिक अधिकारों को सीमित करना। यह काम अक्सर सत्ता की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

3. ****राजनीतिक असहमति का दमन (Suppression of Political Dissent)****: - किसी सत्ता के विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाना या अवैध घोषित करना। उदाहरण के लिए, जब किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन या विरोध प्रदर्शन होता है और उसे "विनिषिद्ध" कर दिया जाता है, ताकि सत्ता विरोधी विचारों को दबाया जा सके।

4. ****आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण (Economic and Social Control)****: - जब सरकार कुछ आर्थिक गतिविधियों या सामाजिक बदलावों को रोकने के लिए उन्हें ****विनिषिद्ध**** कर देती है। यह सामूहिक आंदोलन या सरकारी नीतियों के खिलाफ किसी प्रकार के विरोध को रोकने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, राजनीतिक विचारकों के अनुसार ****विनिषिद्ध**** का मतलब किसी ऐसी क्रिया, विचार, या संगठन को अवैध या अस्वीकृत घोषित करने से है जो सरकार या सत्ता के दृष्टिकोण से सामाजिक, राजनीतिक, या आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है।

****विनिषिद्ध**** (Vinisiddh) और ****परिवर्तन**** (Parivartan) दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, जिनका अर्थ और संदर्भ विभिन्न हो सकते हैं। आइए, हम इन दोनों शब्दों का विश्लेषण करें और समझें कि ये क्या होते हैं और किस संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं।

****विनिषिद्ध (Vinisiddh)**** का अर्थ होता है ****निषेधित**** या ****प्रतिबंधित****। यह वह कार्य, वस्तु, या विचार होते हैं जिन्हें किसी नियम, कानून, धर्म, या समाज द्वारा मना किया गया हो।

विनिषिद्ध के संदर्भ में कुछ उदाहरण: 1. ****धार्मिक दृष्टिकोण****: - कई धर्मों में कुछ कार्यों को ****विनिषिद्ध**** माना जाता है। उदाहरण के लिए, ****जैन धर्म**** में हिंसा (हिंसा से बचना) को विनिषिद्ध माना गया है। इसी तरह, ****हिंदू धर्म**** में मांसाहार या नशीली वस्तुओं का सेवन ****विनिषिद्ध**** हो सकता है।

2. **सामाजिक दृष्टिकोण**: - समाज में कुछ कुप्रथाएँ जैसे **जातिवाद**, **बाल विवाह**, या **स्त्री-पुरुष भेदभाव** को **विनिषिद्ध** माना जाता है। इन कुप्रथाओं का पालन करने वाले व्यक्तियों को समाज द्वारा निंदा का सामना करना पड़ता है।

3. **कानूनी दृष्टिकोण**:- कानून के अंतर्गत कुछ कार्यों को **विनिषिद्ध** किया जाता है। जैसे **चोरी**, **हत्या**, **आत्महत्या** इत्यादि को कानूनी रूप से अवैध और **विनिषिद्ध** माना गया है।

परिवर्तन (Parivartan) का अर्थ होता है **"बदलाव"** या **"परिवर्तन करना"**। यह जीवन में किसी स्थिति, सोच, समाज, या व्यवस्था में सुधार और बदलाव की प्रक्रिया को दर्शाता है।

परिवर्तन के संदर्भ में कुछ उदाहरण 1. **सामाजिक परिवर्तन**:- समाज में नई सोच, विचारधारा, और कार्यशैली को लागू करना। जैसे **महिला अधिकार आंदोलन**, **जातिवाद के खिलाफ आंदोलन**, **समानता की मांग** आदि समाज में बड़े बदलाव लाने वाले परिवर्तन थे।

2. **राजनीतिक परिवर्तन**: - राजनीतिक व्यवस्था या शासन में बदलाव लाना। उदाहरण के तौर पर, स्वतंत्रता संग्राम और **भारत का स्वतंत्रता आंदोलन** एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था, जिससे भारत ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई।

3. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन**:- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, **इंटरनेट का आविष्कार**, **स्पेस शोध**, **नवीन चिकित्सा तकनीकियाँ** का विकास आदि मानव जीवन में बड़े बदलाव लेकर आया।

विनिषिद्ध

1. **विनिषिद्ध** का अर्थ किसी चीज़ या कार्य को निषेधित, मना किया जाना है, जबकि **परिवर्तन** का अर्थ किसी चीज़ में सुधार या बदलाव करना है।

2. **विनिषिद्ध** आमतौर पर समाज, धर्म या कानून द्वारा निर्धारित कुछ मान्यताओं और नियमों के खिलाफ जाने को संदर्भित करता है, जबकि **परिवर्तन** किसी प्रणाली, समाज या व्यक्ति के विचारों या कार्यों में सुधार और विकास को दर्शाता है।

3. **विनिषिद्ध** स्थिर और रोकथाम की स्थिति है, जबकि **परिवर्तन** एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ हो सकती है।

निष्कर्ष: **विनिषिद्ध** वह कार्य, विचार या स्थिति है जिसे किसी नियम, कानून या मान्यता के तहत रोका या मना किया जाता है। यह एक **निषेधित** या **प्रतिबंधित** स्थिति को व्यक्त करता है।

परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चीज़, विचार, व्यवस्था या समाज में सुधार या बदलाव लाया जाता है।

निरंतर यात्रा का सिद्धांत (Continuous Journey Principle) एक कानूनी और प्रशासनिक सिद्धांत है, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में भारतीय प्रवासियों से संबंधित था। यह सिद्धांत विशेष रूप से भारतीयों के प्रवास और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ था। इसे भारतीय श्रमिकों और प्रवासियों के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, खासकर उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू किए गए कानूनों के संदर्भ में। इस सिद्धांत के अनुसार, **"निरंतर यात्रा"** का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रुकावट के यात्रा करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी यात्रा में किसी तीसरे देश में रुकता है, तो उसे अगले देश में प्रवास करने का अधिकार नहीं होता। यह सिद्धांत भारतीय प्रवासियों को एक गंभीर समस्या में डालता था, क्योंकि उनके लिए ब्रिटिश उपनिवेशों के बीच यात्रा करना और अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था।

निरंतर यात्रा सिद्धांत का इतिहास: इस सिद्धांत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण **1908** में हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने **गुरबचन सिंह** नामक एक भारतीय को **कैनाडा** जाने से रोक दिया। यह सिद्धांत भारतीयों के

प्रवास को प्रतिबंधित करने का एक तरीका था। यदि किसी भारतीय ने किसी तीसरे देश में रुकने का प्रयास किया, तो उसे अपनी यात्रा को पूरा करने की अनुमति नहीं मिलती थी।

****निरंतर यात्रा सिद्धांत के प्रभाव**:**

1. ****भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव**:** - इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को प्रवास करने से रोकना था। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को कनाडा जैसे देशों में नौकरी या बसने से रोका जाए, ताकि वहां की श्रमिकों और व्यापारियों की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2. ****कनाडा में भारतीयों की स्थिति**:** - कनाडा और अन्य उपनिवेशों में भारतीयों का स्वागत नहीं किया जाता था, और इस सिद्धांत के द्वारा भारतीयों की यात्रा को और भी कठिन बना दिया गया था। कनाडा में भारतीय श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए यह कानून लागू किया गया।

3. ****भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया**:** - इस कानून के खिलाफ भारतीय समाज और नेता सक्रिय रूप से विरोध करते थे। ****गांधीजी**** ने इस सिद्धांत के खिलाफ संघर्ष किया, और इसके खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि यह सिद्धांत भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इससे उनका मानवाधिकार प्रभावित होता है।

****निरंतर यात्रा सिद्धांत का खात्मा**:** इस सिद्धांत को अंततः ****1947 में भारत की स्वतंत्रता**** के बाद समाप्त कर दिया गया, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर कर दिया।

****निष्कर्ष**:** ****निरंतर यात्रा का सिद्धांत**** एक ऐतिहासिक कानूनी और प्रशासनिक सिद्धांत था, जो भारतीय प्रवासियों की यात्रा को प्रतिबंधित करता था। यह सिद्धांत भारतीयों को दूसरे देशों में अपनी यात्रा पूरी करने से रोकता था, जिससे उन्हें अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अवसर नहीं मिल पाता था। यह सिद्धांत भारतीयों के खिलाफ एक तरह से भेदभावपूर्ण नीति का प्रतीक था, और इसके खिलाफ संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना।

Chapter - 24

अधिग्रहण न्यायालय** (Acquisition Court)

****अधिग्रहण न्यायालय** (Acquisition Court)** एक विशेष प्रकार का न्यायालय होता है जिसे विशेष उद्देश्य और कार्यों के लिए स्थापित किया जाता है। अधिग्रहण न्यायालय का मुख्य कार्य किसी संपत्ति या संपत्ति के हिस्से का अधिग्रहण करना होता है, जिसे किसी सार्वजनिक प्रयोजन, जैसे कि सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों, या सार्वजनिक सुविधाओं के लिए, किया जाता है। यह विशेष रूप से उन मामलों में होता है जहाँ सरकार को किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने की आवश्यकता होती है।

****अधिग्रहण न्यायालय की भूमिका**:** 1. ****संपत्ति का अधिग्रहण**:** - सरकार या संबंधित सार्वजनिक निकाय किसी व्यक्ति की संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित करता है, जैसे सड़क निर्माण, रेल मार्ग, जल आपूर्ति योजना, आदि। इसके लिए यह न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि अधिग्रहण प्रक्रिया कानूनी रूप से सही हो और संपत्ति मालिक को उचित मुआवजा मिले।

2. ****संपत्ति मालिक को मुआवजा देना**:** - जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित किया जाता है, तो उसे उचित मुआवजा दिया जाता है। यह न्यायालय यह तय करता है कि संपत्ति मालिक को उसकी संपत्ति का उचित मूल्य मिले, जिससे वह संतुष्ट हो सके और उसकी आजीविका पर कोई असर न पड़े।

3. ****सुनवाई और विवादों का समाधान****: - अधिग्रहण के मामले में यदि संपत्ति मालिक को मुआवजे की राशि या अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित कोई आपत्ति होती है, तो वह इस न्यायालय में अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय उस पर सुनवाई करता है और न्यायिक दृष्टिकोण से उचित निर्णय देता है।

****अधिग्रहण न्यायालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु****: ****लोकहित में अधिग्रहण****: अधिग्रहण का उद्देश्य सामान्य जनता के हित में काम करना होता है, जैसे सड़कें बनाना, जल आपूर्ति योजना लागू करना, आदि।

- ****न्यायिक समीक्षा****: यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका अधिग्रहण गलत तरीके से किया गया है या मुआवजा उचित नहीं है, तो वह अधिग्रहण न्यायालय से न्याय की मांग कर सकता है।

- ****न्यायालय का अधिकार****: अधिग्रहण न्यायालय के पास यह अधिकार होता है कि वह अधिग्रहण के मामलों पर विचार करें और संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्णय लें।

****उदाहरण****: ****भारत में भूमि अधिग्रहण कानून**** के अंतर्गत, ****भूमि अधिग्रहण न्यायालय**** यह निर्धारित करता है कि भूमि मालिक को उसकी भूमि के उचित मूल्य का मुआवजा दिया जाए। यदि भूमि मालिक को लगता है कि मुआवजा कम है, तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है। यह न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय लेता है और तय करता है कि मुआवजा कितना उचित है।

****निष्कर्ष****: ****अधिग्रहण न्यायालय**** वह विशेष न्यायालय होता है जो संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े मामलों का समाधान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संपत्ति मालिक को उचित मुआवजा मिले और अधिग्रहण की प्रक्रिया कानूनी और न्यायिक रूप से सही तरीके से हो। यह न्यायालय सार्वजनिक और व्यक्तिगत हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है।